ESSENTIAL COMMODITIES PROCUREMENT AND DISTRIBUTION AUTHORITY BILL, 1988

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an Essential Commodities Procurement and Distribution Authority to ensure equitable distribution of essential commodities at fair price and matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I introduce the Bill.

CHILD WELFARE BOARDS BILL, 1988

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of Child Welfare Boards in every District of the country and matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION AMENDMENT BILL, 1988. (To amend article 16)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदय मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

FINANCIAL RELIEF TO INDIGENT PERSONS BILL, 1988

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि निर्धन व्यक्तियों को वित्तीय राहत देने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदय विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

Financial relief to Blind persons Bill, 1988

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नेत्रहीन व्यक्तियों को वित्तीय राहत देने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदय मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1988.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री राम नरेश यादव : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1988, (To amend article 326)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मेरा यह संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करने के लिए है और वह केवल इसलिए है कि जो इस देश में मतदाताओं की न्यूनतम आयु है उसको घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष किया जाए।

मान्यवर, यह विषय बहुत दिनों से चल रहा है और जब इस देश में संविधान बना था, उस समय वयस्क मताधिकार के अधिकार यहां के मतदाताओं को दिये गये और जो व्यवस्था उस समय उक्त की गई थी, उसके अनुसार जो ड्राफ्ट कंस्टीट्यूशन था, संविधान का जो प्रस्तावना प्रस्ताव था, उसमें उस समय 326 के नम्बर 89 (बी) था और डा० अम्बेडकर ने उस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। डा० राजेन्द्र प्रसाद उस समय संविधान सभा

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

की कुर्सी पर सभापति के रूप में विराजमान थे और उस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हुआ, बिना विवाद के, बिना विचार-विमर्श के सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि देश में मतदाताओं की आयु जो न्यूनतम होगी, 21 वर्ष होगी।

मान्यवर, आज इस देश में बराबर बहस चल रही है कि व्यापक रूप से चुनाव कानून में संशोधन हो, उसमें परिवर्तन हो। इस सिलसिले में चुनाव आयोग ने भी सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे हैं और जितने भी राजनीतिक दल हैं, केवल कांग्रेस "आई" को छोड़कर, सब ने अपने-अपने सुझाव चुनाव आयोग को दे दिए हैं। चुनाव-आयोग ने भी इस बात से अपनी सहमति व्यक्त की है कि मतदाताओं की न्यूनतम आयु को 21 से घटा 18 वर्ष कर दिया जाये।

मान्यवर, इस देश में जो युवा-शक्ति है, वह राष्ट्र-निर्माण के काम में लगी हुई है और पहले भी युवाशक्ति ने राष्ट्र निर्माण का काम किया है, चाहे आजादी की लड़ाई का समय रहा हो या आजादी हासिल करने के बाद का समय रहा हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, श्री जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, डा० राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आजीवन युवा शक्ति को प्रेरणा दी और इन राष्ट्र-नेताओं का बराबर यह कहना था कि युवा शक्ति को अधिकार भी देने चाहिये। लोक नायक जय प्रकाश नारायण ने एक समिति बनाई थी वी० एम० तारकुण्डे समिति और उस समिति ने भी अपनी संस्तुति दी कि मताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए।

मान्यवर, सन् 1925 में पहली बार इस देश में वयस्क मताधिकार की बात उठी थी। उस वक्त इस देश की आम जनता ने और उस वक्त के राष्ट्र नेताओं ने भी इस विचार से अपनी सहमति व्यक्त की थी और जहां तक वयस्क मताधिकार की बात है महात्मा गांधी ने भी समर्थन किया था। कांग्रेस पार्टी, जिसमें बहुत से राष्ट्रीय नेता थे, सर्वश्री मोती लाल नेहरू, लाला लाजपत राय, आंध्र प्रदेश के श्री टी० प्रकासम, श्रीनिवास अय्यंगर और देश का बंटवारा होने से वह चले गये पाकिस्तान में श्री मोहम्मद अली जिन्हा, वह भी, उस कमेटी में थे। इन सब लोगों ने इस बात का समर्थन किया कि बालिग मताधिकार इस देश में होना चाहिये। ड्राफ्ट कंस्टीट्यूशन बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सन् 1927-28 में एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का नाम था--मोतीलाल नेहरू कमेटी, जिन्हा साहब भी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी ने बालिग मताधिकार के सिद्धान्त को स्वीकार किया और जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया कि बाद में हमारा संविधान बना 1949 में और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब से इस देश के हर व्यक्ति को, जो 21 वर्ष से ऊपर है, मताधिकार मिला है।

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जो 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच के हैं, उनको भी मताधिकार मिलना चाहिये। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी हाल में कांग्रेस पार्टी ने श्री बी०एन० गाडगिल की संयोजकता या अध्यक्षता में कोई समिति बनाई थी और उस समिति ने भी कदाचित संस्तुति की है कि 18 वर्ष की जिनकी आयु है, मताधिकार उन लोगों को भी देना चाहिए। आज ही के समाचार पत्रों से मुझे यह भी जानकारी हुई कि चुनाव सुधार से जो संबंधित मामले हैं, उनके सिलसिले में कानून मंत्री श्री शंकरानन्द जी ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कम से कम मेरा यह जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसको तुरन्त सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये और आज ही इस संबंध में घोषणा करनी चाहिये।

मान्यवर, आज जो 18 वर्ष के नवयुवक हैं, ये पहले के हिसाब से शिक्षा में

बढ़े है, परिपक्व हो गये है, अपना अच्छा-बुरा समझते हैं, निर्णय लेने की उनकी क्षमता है। इसलिए भी उनको अधिकार मिलना चाहिये। मैं यहां उद्धरण करना चाहूंगा कि पंजाब में गदर पार्टी के थे करतार सिंह सराबा, जो नवयुवक थे, 19 वर्ष की उनकी आयु थी . . .

श्री गुलाम रसूल मट्टू (जम्मू और काश्मीर) : गद्दार नहीं गदर।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उस वक्त कहते थे गद्दारी पार्टी, अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज कहते थे गद्दार . . . (**व्यवधान**) . . . गदर सही है।

मान्यवर, मैंने जो जानकारी हासिल करने की कोशिश की है उसके अनुसार सबसे पहले संपूर्ण स्वराज का नारा इसी पार्टी के करतार सिंह सराबा ने दिया था। उन्नीस वर्ष की उनकी आयु थी और अंग्रेजों ने उन पर मुकद्दमा चलाया और फांसी की सजा दे दी। वे फांसी के तख्ते पर हंसते-हंसते झूल गए। इसी प्रकार एक चटगांव का रेड केस हुआ था। उस केस में एक टैगोर नाम का बालक था जिसकी उम्र 17 वर्ष थी। अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में लड़ते-लड़ते वह शहीद हो गया था। उसने अपनी जान दे दी थी इसी प्रकार हरिकृष्ण कोनार की आयु केवल 14 वर्ष थी। उसने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। सत्रह वर्ष की आयु में वह क्रांतिकारियों के साथ हो गया। उसे आजीवन कारावास दिया और अंडमान निकोबार भेज दिया गया। शहीद भगत-सिंह को तो सभी लोग जानते हैं। सेंट्रल हाल में जब उन्होंने बम फेंका तो उस समय उनकी आयु केवल 19 वर्ष थी। महोदय, मैं इस बात को इसलिए उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि ये सारे नौजवान 18 वर्ष के आसपास की आयु के थे, य 18 से 21 वर्ष की आयु के थे, लेकिन इनके मन में देश के लिए प्रेम था उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, फांसी के फंदे पर झूल गए, आजीवन कारावास की सजा सही। इसलिए इस आयु के नौजवानों को निश्चित रूप से मताधिकार दिया जाना चाहिये।

मान्यवर, कुल 78 देशों की जानकारी मैंने इकट्ठी की है जिसमें कि मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश—तीनों एक ही देश थे, लेकिन यह दुःख का विषय है कि लाहौर में जो 18 वर्ष का नौजवान है, अमृतसर से केवल 30 किलोमीटर दूर, उसको तो वोट देने का अधिकार है, लेकिन अमृतसर में जो 18 वर्ष का नवयुवक है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। बांगलादेश बाद मे पाकिस्तान का टुकड़ा हो गया और उस बंटवारे को डा. राम मनोहर लोहिया ने नकली बंटवारे की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था कि आगे चलकर पाकिस्तान और बांगलादेश एक होकर नहीं रह सकता। डा. राम मनोहर लोहिया की बात सही हुई। आज बांगलादेश के 18 वर्ष के नौजवानों को वोट देने का अधिकार है। श्री लंका में भी यही स्थिति है वहां भी 18 वर्ष के नवयुवक को वोट देने का अधिकार है।

मान्यवर, जिन 30 देशों मे 18 वर्ष के नवयुवकों को मताधिकार प्राप्त है, वे हैं— अर्जेंटिना, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिय, बांगलादेश, ब्राजील, बल्गारिया, कनाडा, कोस्टारिका, चकोस्लावाकिया, डैमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ वियतनाम, फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मन डैमो-क्रेटिक रिपब्लिक, जर्मन फैडरल रिपब्लिक, हंगरी, आयरलैण्ड, इजरायल, नीदरलण्ड पाकिस्तान (मैं बता चुका हूं), पोलेण्ड, रिपब्लिक आफ वियतनाम, रूमानिया, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, सोरियन, अरब रिपब्लिक, यू.एस.एस.आर., यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका, योगोस्लाविया, फैडरल चेंबर, जैयरे, जांविया, तथा और भी कुछ देश हैं जिनमें कि कहीं 19 वर्ष या कहीं 18 वर्ष के लोगों को मतदान का अधिकार है। एक देश तो मुझे ऐसा मिला है जहां केवल 16 वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार है। इटली एक ऐसा देश है जहां आज भी 21 वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार है। मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि ऊपर जिन देशों को मैंने गिनाया है, उनके उदाहरण को सरकार को मानना

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

चाहिये, इटली के उदाहरण को नहीं मानना चाहिए।

SHRI M. A. BABY (Kerala): What do you want to point out when you say that we should not follow Italy?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I am saying that we should not follow Italy in regard to grant of voting right. We should change our policy and reduce the voting age to 18, as Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka have done.

लेकिन मान्यवर, मुझे दुख है कि अभी 15 नवम्बर, 1988 को मैंने इसी सदन में एक सवाल किया था। मैंने अपने शुरू के भाषण में 4 नवम्बर को कहा था कि सन् 1985 में राष्ट्रपति जी ने संसद् के संयुक्त अधिवेशन में इस बात का आश्वासन दिया था कि व्यापक रूप से चुनाव कानून में संशोधन लाया जाएगा। कि व्यापक रूप से चुनाव कानून में संशोधन लाया जाएगा स्वच्छ राजनीति के लिए और स्वच्छ प्रजातंत्र के लिए। 1985 में जो राष्ट्रपति जी ने कहा और राष्ट्रपति जी जो कुछ भी कहते हैं, किसी सरकार की नीति होती है, लेकिन 1986 में राष्ट्रपति जी ने कुछ नहीं कहा, 1987 में नहीं कहा और इस वर्ष 1988 में भी नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि सरकार अपने आश्वासन को भूल गई है और 15 नवम्बर, 1988 को मैंने जब प्रश्न पूछा तो मुझे कानून मंत्री जी ने उत्तर दिया कि :

"The proposal for reducing the age is presently being debated extensively. This is being taken note of but no final decision has been taken."

तो नोट क्या किया मंत्री जी ने, किसी चीज को सरकार ने अपने दिमाग में रखा कि यह जो बहस चल रही है, इस बहस को नोट किया। पिछले 25 वर्ष में कितनी बार सरकार ने आश्वासन दिया—कमेटी आफ पैटिटशन्स बैठी, उसने संस्तुति दिया, संयुक्त समिति ने अपनी संस्तुति दिया, उसके बाद डा. कर्णसिंह मंत्री थे, उनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई उसने अपनी संस्तुति दिया, लेकिन आज तक मान्यवर किसी भी संस्तुति का पालन नहीं किया गया। 1969 में लोक सभा में याचिका समिति के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई थी और उसको बनारस के दो नवयुवकों थे, गांधी विद्या संस्थान से संबंधित थे, सुरेन्द्र विक्रम, उन्होंने प्रस्तुत किया था और कमेटी ने अपनी संस्तुति 12 नवम्बर, 1970 को सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिया। संस्तुति थी कि .

"The Committee has given earnest consideration to the demand of the petitioners for lowering the age from 21 years to 18 years. The Committee feels that there are no valid reasons for denying the right of vote to persons above the age of 18 years, particularly when for all other purposes of law they are treated as majors and deemed competent to handle their affairs. The Committee, therefore, recommended that article 326 of the Constitution should be amended and voting age reduced from 21 years to 18 years."

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Who was the Chairman?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Shri S. Supakar, M.P. was the Chairman of the Petitions Committee of Lok Sabha.

1970 में मान्यवर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और आज 18 वर्ष बीत गए लेकिन उस संस्तुति को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने अपनी ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं की। उसके बाद मान्यवर एक कानून के संबंध में दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति बनाई गई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उस समिति के सदस्य थे जो इत्तफाक से इस समय राज्य सभा में है और लालकृष्ण आडवाणी जो इस समय राज्य सभा में है, वह भी उस कमेटी के सदस्य थे और इस कमेटी ने फरवरी, 1972 में अपनी संस्तुति की और इस कमेटी ने भी कहा और इस कमेटी

की नियुक्ति हुई थी 22 जून, 1971 को और राज्य सभा ने अपनी स्वीकृति दी 25 जून, 1971 को 30 जून, 1971 को कमेटी गठित की गई और जैसा कि मैंने ऊपर निवेदन किया है फरवरी, 1972 में इस कमेटी ने सर्वसम्मति से अपनी संस्तुति सरकार के पास भेज दी कि जो मताधिकार की आयु है इसको 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष करना चाहिये और इसका उद्धरण बहुत ही आवश्यक है, समिति के सदस्यों की संस्तुति है :

"The question of voting age has in recent years assumed considerable significance. It is well known that in Western democracies the expansion of franchise was slow, gradual and progressive. Great Britain, for example, took almost a century to arrive at universal adult franchise. In India on the other hand the experience of universal adult franchise is only 20 years old.

"The question as to whether the provisions of the Constitution might be amended with a view to reduce the voting age from 21 to 18 therefore requires serious consideration.

Some Members of the Committee felt that if the voting age was reduced to 18 years, it would create innumerable problems in the country. The size of the electorate would increase to a tremendous extent, partly as a consequence of inclusion of persons between the age group of 18—21 years and partly because of the considerable rate of increase of population. This would also import party politics in the educational institutions which would be a source of disturbance at regular intervals and would also detract the students from their studies. Obove all, it would create heavy financial burden on the exchequer for handling such a vast electorate.

Other Members of the Committee felt that this measure will provide to the younger generation a sense of participation in the democratic process. In their view, there are no valid reasons for denying the right of vote to the age group of 18—21 years, particdularly when for all purposes of law, they are treated as majors and deemed competent to handle their affairs."

The Minister of Law and Justice stated that Government had not taken any decision in this regard.

Now these are the recommendations of the Commi tee. The operative portion reads as under:

"Having considered both the above viewpoints, the Committee decided that the voting age should be reduced from 21 years to 18 years. The Committee therefore, recommends that the Art. 326 of the Constitution might be amended accordingly.

This recommendation was made in February, 1972. Now we are towards the end of year 1988.

इस कमेटी की संस्तुतियों को आज तक लागू नहीं किया गया है । इसके बाद इसी सदन में श्री भूपेश गुप्त जी ने एक विधेयक रखा था इसी संबंध में और श्री भूपेश गुप्त ने जो विधेयक रखा था उसमें दो तीन तारीखों पर इस सदन में बहस हुई और विचार विमर्श हुआ । उसके बाद केरल के सैयद मोहम्मद ने इसका उत्तर दिया और उत्तर में उन्होंने कहा कि सिद्धांत रूप में सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि 18 वर्ष की आयु के लोगों को मतदान का अधिकार देना चाहिये ।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Sir, he has done good home work.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Yes, very good home work.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इसी तरीके से प्रो. मधु दण्डवते ने लोक सभा में 1980 में एक विधेयक रखा । उसके पहले श्री लक्ष्मी नारायण पांडे ने भी लोक सभा में एक विधेयक रखा था और उस समय भी सरकार ने आश्वासन दिया था सदन में कि हम स्वीकार करते हैं इसको सिद्धांत रूप में लेकिन आज तक उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ ।

महोदय, जिस कमेटी का मैंने जिक्र किया है उसके अध्यक्ष जस्टिस तारकुंडे थे जिन्हे

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने नियुक्त किया था। उसने भी यही संस्तुति दी थी कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाय। उनकी संस्तुतियों को मैं पढ़ना चाहता हूं। उसमें विद्वान, पत्रकार, बुद्धिजीवी थे। उसके सदस्य थे श्री एम. आर. मसानी, श्री पी. वी. मावलंकर जो कि जी. वी. मावलंकर थे जो लोक सभा के सर्व प्रथम स्पीकर थे उनके पुत्र थे, श्री ए. जी. नूरानी, प्रो. के. डी. देसाई, ई. पी. डब्लू० डिकोस्टा 1975 में प्रो. तारकुंडे ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में मतदाता की आयु के संबंध में जो संस्तुतियां की गई हैं उनका उद्धरण मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

3 P.M.

"According to the present law, a person gets the right to vote when he attains the age of 21. There is a strong current of opinion in the country that the voting right should be available on attainment of majority at the age of 18. The Committee is entirely in favour of this change. While there may have been some justification when the Constitution was promulgated for confining the franchise to persons of the age of 21 and above, we do not think that this provision is justified anymore. In many families the younger people are better educated and better informed than their elders. In rural areas, while the older people are often illiterate, the younger generation is able to read and write. Moreover, in recent years, youth all over the country are becoming the vanguard and catalyst of social transformation. It is desirable that their idealism should be adequately reflected in the legislatures. We are, for these reasons, of the view that the franchise should be extended to all persons attaining the age of 18."

बहुत ही वैलीड इनके कारण थे और संस्तुति सरकार के पास भी गयी। मुझे अच्छी तरह से याद हैं। इसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक जुलूस गया था और तत्कालीन स्पीकर को एक मांग पत्र दिया गया था 18 मार्च, 1975 को। मझे याद है आचार्य कृपलानी और मैं भी उसमें सम्मिलित थे। स्पीकर साहब को जाकर एक मांगपत्र चुनाव सुधार के संबंध में यानी मतदाता की आयु घटाने के बारे में दिया गया था। मुझे समझ नहीं आया क्योंकि इस संस्तुति को सरकार नहीं मान रही है। जब शकधर साहब इलेक्शन कमिश्नर थे तो उन्होंने भी इस बात से अपनी सहमति व्यक्त की थी कि मतदाताओं की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी जानी चाहिये। समय-समय पर चुनाव आयोग सरकार के पास अपनी संस्तुति भेजती रही और 28 मार्च, 1988 को भी अपना एक पत्र भेजा है जिसमें चुनाव आयोग ने फिर एक बार इस बात से सहमति व्यक्त की है कि मतदाता की आयु घटा कर 18 वर्ष कर दी जानी चाहिये। उनका यह कहना था :

"On voting age the Commission has stated that of the 39 countries listed in the publication 'World Atlas of Education', only in three countries (India, Botswana and Cyprus) the minimum age is 21 years. In Japan it is 20 years. In the remaining countries including UK and USA the minimum voting age is 18 years. The Commission has further stated that if the voting age is lowered to 18, it would be a recognition of the maturity of the persons in the age group of 18 to 21 who are mostly literate and have a part to play in politics."

This is what the Commission said or recommended.

मान्यवर, बार-बार सारी संस्तुतियां इस लिये पढ़ रहा हूं क्योंकि सरकार ने बार-बार आश्वासन दिया है कि ये अच्छे सुझाव हैं और इन सुझावों पर सरकार विचार कर रही है। सरकार का इस पर दिमाग लगा हुआ है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक इन संस्तुतियों को लागू क्यों नहीं किया गया? लागू करने से सरकार क्यों गुरेज कर रही है? अभी मैं जिक्र कर रहा था भूपेश गुप्त जी का। उन्होंने इस सदन में एक अपना विधेयक प्रस्तुत किया था गैर सरकारी उस पर जो उस वक्त के कानून मंत्री केरल के डा. वी. एस. सैयद महमूद थे उन्होंने 19 मार्च, 76 को यह उत्तर दिया था।

"The Government appointed a Committee under the Chairmanship of Dr. Karan Singh to examine the whole matter. He submitted a report containing points which were very much in favour of reducing the age."

यह दूसरी कमेटी थी जिसमें अटल जी, आडवाणी जी और मैं भी था। इस कमेटी में यह कहा गया था .

"But at this stage, especially when the Joint Commitee on the Election Law Amendment Bill is considering it and when the whole question of amendment of the Constitution is being considered, let us wait a little longer. It is not as if the Government is against it. Certainly the sentiments of the House, the weighty arguments which have been advanced and the general opinion in the country is in favour of this amendment or change in law. All these factors will be taken into consideration and at the appropriate stage it will be considered."

पता नहीं यह स्टेज कब आयेगी ? मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि जिस पार्टी की आज सरकार है उसने बड़ी-बड़ी घोषणायें की हैं, बड़े-बड़े वायदे किये हैं। उनके सन् 1980 और 1984 के चुनाव घोषणा-पत्र मेरे सामने है। सन् 1980 और सन् 1984 के घोषणा पत्रों में एक में भी कांग्रेस पार्टी इस देश की जनता से यह वायदा नहीं किया कि मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाएगी। यह चुनाव घोषणा-पत्र 1980 का है, इसको मैंने छः बार पढ़ा, ताकि शायद इस संबंध में कहीं कुछ मिल जाय, लेकिन इसमें कहीं पर भी गलती से भी यह नहीं कहा गया है कि मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाये। यह घोषणा-पत्र 31 पृष्ठों का है और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से मैंने इसको मंगवाया है। इसमें कहीं भी इस बात का वायदा नहीं किया गया है कि मतदाताओं की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष हम करेंगे। इस प्रकार से दूसरा हमारे सामने चुनाव घोषणा-पत्र श्री राजीव गांधी के समय का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन् 1984 में अपना चुनाव घोषणा पत्र बनाया। यह 25 पृष्ठों का है। इसमें भी बहुत से वायदे किये गये हैं। इसमें करीब 64 अनुच्छेद, धारायें अथवा पैराग्राफ हैं। इसमें भी कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है कि मतदाताओं की आयु घटाकर हम 18 वर्ष करेंगे और शायद इसीलिये इस देश की जनता की भावनाओं का अनादर किया जाता रहा है, उसको माना नहीं गया है। दूसरी ओर जनता पार्टी का सन् 1977 का घोषणा-पत्र है। इसमें वायदा किया गया था कि--

"To introduce electoral reforms after a careful consideration of suggestions made by various committees, including the Tarkunde Committee, and in particular consider proposals for recall of errant legislators and for reducing election costs as well as reducing voting age from 21 to 18 years."

मैं यह भी बताऊंगा कि गाडगिल कमेटी ने क्यों इसको स्वीकार किया। इसके बाद सन् 1980 का चुनाव हुआ। सन् 1980 के चुनाव घोषणा पत्र में जनता पार्टी ने इलक्टोरल रिफार्म और वोटिंग एज के संबंध में अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कहा--

"The Janata Party in its 1977 manifesto announced its intention to lower the voting age to 18 years. Before it could amend the Representation of People Act in this direction, the President dissolved the Lok Sabha. The Party will carry out this change on resuming office."

इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सन् 1984 के चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि 18 वर्ष की आयु के सब व्यक्तियों और मतदाताओं को अधिकार दिया जाये। आडवाणी जी भी एक समिति के सदस्य थे। आजकल वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। 9 मई, 1986 को अपने सभापति के पद से भाषण देते हुए उन्होंने इस बात की, वोटिंग ऐज की, चर्चा की है--

"Voting age must be reduced from 21 years to 18 years."

अब एक नेशनल फ्रंट बन गया है। नेशनल फ्रंट ने 71 सूत्री कार्यक्रम बनाया है जिसकी

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

घोषणा गाडगिल कमेटी के पहले हो गई थी। नेशनल फ्रंट के 71 सूत्री कार्यक्रम में इस बात का वायदा किया गया है कि मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाये। इसका कार्यक्रम संख्या 54 है—

"Voting age will be reduced from 21 to 18 years."

इसके बाद कांग्रेस कमेटी ने श्री गाडगिल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उस कमेटी ने भी इसी प्रकार की संस्तुति की है। लेकिन मैं इस प्रकार सरकार की नीयत पर शक करता हूं कि जो एतिहासिक तथ्य है, एतिहासिक सत्य है बार बार सदन में आ वासन देने के बाद भी इस आश्वासन की पूर्ति नहीं की जा रही है। मैं इसलिय निवेदन करना चाहता हूं कि 18 वर्ष की परिपक्वता को देखते हुए कम से कम इस बात पर विचार करते हुए और भी जो बहुत से कानून है उन में 18 वर्ष के लोगों को बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। मैं इसलिये 30 अक्तबर, 1988 के दैनिक जागरण का उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूं :—

—18 वर्ष के सैनिक के रूप में आप देश के लिये प्राण न्यौछावर कर सकते हैं लेकिन अपनी सरकार नहीं चुन सकते।

—18 वर्ष की एक स्त्री विवाह कर सकती है, मां बन सकती है मगर वोट नहीं दे सकती।

—18 वर्ष के हो कर आप कार टैंक हवाई जहाज (भले ही छोटा हो) चला सकते हैं मगर आपको मताधिकार नहीं है।

—आपको नौकरी मिल सकती है, पासपोर्ट मिल सकता है, एक वयस्क के रूप म खुद का बीमा करा सकते है, आप बैंक में खाता खोल सकते हैं मगर 18 वर्ष की आयु पाकर भी आप लोक सभा या विधान सभा के मतदानपत्र पर मुहर नहीं लगा सकते।

—भारतीय दण्ड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता आपको दोषी ठहरा कर फांसी तक की सजा 18 साल की आयु के होते ही दे सकती हैं मगर आप मतदाता नहीं है।

इसके अलावा, मान्यवर, बहुत से ऐसे कानून हैं जिनमें 18 वर्ष की आयु के लोगों को बहुत से अधिकार है (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): At that age you can buy and sell property.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Yes, Sir.

I would like to quote the Cinematograph Act.

"An adult is a person who has completed 18 years of age."

It is also defined in the Act. The relevant portion in the Indian Majority Act says:

"Suject as aforesaid, every other person domiciled in India shall be deemed to have attained his majority when he shall have completed his age of 18 years and not before."

Then as you know there is the Hindu Marriage Act. In that there is a provision that: "The bridegroom should have completed the age of 18 years."

There are so many laws and I don't want to go into the details.

इसलिए मेरा निवेदन है कि यह बहस इस देश में 25 वर्ष से तो चल ही रही है इस संसद में भी चल रही है अब इस बहस को और मत चलाइये।

विधि और न्याय मन्त्रालय मे राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : आप लोग ही चला रहे हैं। हमने थोड़ा चलाई है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आप स्वीकार कर लीजिए हमारा संविधान संशोधन विधेयक और घोषणा कर दीजिए तमिलनाडु में चुनाव होने जा रहा है। (व्यवधान)

श्री हंसराज भारद्वाज : श्रीमान जी, मैं इनके मुंह कैसे बन्द करूं। 1977 के चुनाव मेनीफेस्टो में दे कर जो पार्टी लागू नहीं कर सकती है वह हमारे ऊपर अब यह बोल रहे हैं। आपने यह कैसे कह दिया? आपको अपने मेनीफेस्टो को तो पूरा करना चाहिये।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैंने उसका उद्धरण सिर्फ इसलिए किया है कि वचन-बद्धता भी नहीं होती है। आप तो चुनाव घोषणा-पत्र में भी वायदा करने से संकोच करते हैं। बहुत से वायदे किये लेकिन यह वायदा नहीं किया।

श्री हंसराज भारद्वाज : यही तो फर्क है। हम वायदा करेंगे तो निभायेंगे। आप वायदा कर के धोखा देते है। आपने वायदा नहीं निभाया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इसीलिए तो ढाई साल में चले गये लेकिन अब आप लोगों के जाने की बारी है। नेशनल फ्रंट आप लोगों का इस देश की सत्ता से भगाएगा (**व्यवधान**)

श्री हंसराज भारद्वाज : जो रहेगा, आएगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं सिर्फ यह कह रहा था कि जब सरकार चाहती भी है मंशा भी है और सत्ताधारी जो सबसे बड़ी पार्टी है आल इंडिया कमेटी ने भी जो कमेटी बनाई है उसने भी संस्तुति की है आप उसको स्वीकार करिये। विपक्ष की मीटिंग जो पिछले 6 साल से आप देख ही रहे हैं कि कितनी बार मीटिंग हो चुकी है। चुनाव आयोग ने सुझाव मांगे सारे राजनीतिक दलों ने सुझाव दे दिये। यहां तक हो गया पिछले अगस्त में सत्र के अन्तिम दिन जब आडवाणी जी ने अपना एक सवाल उठाया चुनाव कानूनों में संशोधन करने के लिए। तो प्रधान मंत्री जी ने उत्तर दिया कि बहुत ही शीघ्र चुनाव कानून में व्यापक सुधार के लिए संशोधन लाया जायेगा। लेकिन वह सत्र खत्म हो गया और इस सत्र के भी समाप्त होने की बात आ गयी है (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : इस सदन में बूटा सिंह जी ने कुछ कहा था शायद।

श्री हंसराज भारद्वाज : आपको डेट पहुंचा दी है मीटिंग के लिए आपको निमंत्रण मिला कि नहीं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैंने इसी से शुरू किया था कि शंकरानन्द जी ने मीटिंग बुलायी है (**व्यवधान**)

श्री हंसराज भारद्वाज : हम लोग तो बड़े प्रेम के साथ बातचीत कर रहे हैं, आपको विश्वास क्यों नहीं होता। हैं

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आप लोग यह मत कहिए कि विपक्ष को बुलाया जाता है लेकिन विपक्ष वाले जाते नहीं हैं (**व्यवधान**) मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। शुरू से यह निवेदन कर रहा था कि जो तर्क प्रस्तुत किया है उस तर्क में कुछ बल है। उस तर्क के पीछे कुछ इस देश का इतिहास है, इस देश के नौजवानों ने, 18 वर्ष के नीचे के नौजवानो ने बलिदान किया है, अपने जीवन को प्राणों को न्योछावर किया है। मैंने शुरु में ही निवेदन किया था कि जितने राष्ट्रीय नेता थे चाहे तब के चाहे आज के इन्होंने युवा शक्ति का प्रयोग किया है। इसलिए जब हम उनको प्रयोग करना चाहते है तो उनको अधिकार भी दे। इसलिए जो भी सरकार बनती है चाहे प्रदेश की हो या केन्द्र की उसमें उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिये। केरल की सरकार है मान्यवर। 1971 में केरल की असेम्बली ने एक प्रस्ताव पास किया था और प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार के पास भेज दिया था कि 18 वर्ष के लोगों को मताधिकार देना चाहिए। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जब जनता पार्टी की सरकार थी, राम नरेश यादव जी मुख्य मंत्री थे उस वक्त मैं स्वायत्त शासन मंत्री था और उस समय उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष के लोगों को जो स्थानीय निकायों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और जिला परिषद के चुनाव होते हैं उनमें मताधिकार दे दिया गया था और अभी भी चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं तथा फिर होंगे इनमें 18 वर्ष के लोगों, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और आगे करेंगे। इसी तरह से कर्नाटक में आज जनता पार्टी की सरकार है और यहां भी 18 वर्ष के लोगों को मताधिकार प्राप्त है। इसी तरह से और भी राज्य है। केरल में भी है, आंध्र प्रदेश भी है शायद मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी है, बट आई एम नाट श्योर, वेस्ट बेंगाल में भी है। तो मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि मीटिंग वगैरह तो आप करते रहिए। शंकरानन्द जी ने मीटिंग बुलायी है उसके बाद प्रधान मंत्री जी से मीटिंग होगी, विचार विमर्श होगा और विचार विमर्श पांच साल से चल ही रहा है। मैंने शुरू में निवेदन किया था कि सन् 1985 में,

(श्री सत्यप्रकाश मालवीय)

जनवरी में राष्ट्रपति जी ने वादा किया था जो सरकार होने की घोषणा की थी संसद के संयुक्त अधिवेशन में कि चुनाव कानून में व्यापक संशोधन लाया जायेगा मगर आज तक वह नहीं लाया गया है। भारद्वाज जी जरूर जवाब देंगे कि जो दलबदल कानून है वह लाया गया है ....(व्यवधान)...

श्री हंसराज भारद्वाज : जब जवाब देने का मौका आता है तो इतने नेशनल फ्रंट बना लेते हैं कि किसको जवाब दें लोकदल को जवाब दें कि जनता को ? आप मुझे बताइये कि नेशनल फ्रंट क्या चीज है इसका कानून है कोई ढांचा है या कोई पार्टी है या क्या है ? इस किताब को दिखाने से क्या होगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : प्रो० लक्ष्मन्ना हमारे सेक्रेटरी है, इसका एक ढांचा है, पर मैं दिखा रहा हूं। नेशनल फ्रंट का है (व्यवधान) अगर आप बैठ जाये (व्यवधान) मैं यह निवेदन करूंगा **(व्यवधान)**

I can lay it on the Table of the House. **This is presided over by Mr. N. T. Rama Rao and Mr V. P. Singh is the Convenor.**

श्री हंसराज भारद्वाज : ऐसा नहीं है मालवीय जी। आप तो पुराने आदमी है यह तो किसी शादी का कार्ड उठा लाये हैं कहीं से (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उपसभाध्यक्ष जी अगर आप अनुमति दें **(व्यवधान)** इसको उधर पहुंचा दीजिए। इतनी तो अनुमति आप दे सकते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No, no, it cannot be laid on the Table of the House.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था **(व्यवधान)**

PROF. C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh): This is the manifesto. What do you want? The only thing is that they will not be prepared to accept it. This National Front will unseat this country's Government. It has got a national programme. There is a mandate.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): It is wishful thinking... (*Interruptions*)...

श्री हंसराज भारद्वाज : अब ये कहां से बोल रहे है। मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : तो मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा था कि कानून मंत्री श्री भारद्वाज जी जरूर यह उत्तर देंगे कि दलबदल कानून लाया गया था **(व्यवधान)**

श्री हंसराज भारद्वाज : Mr. Malaviya, I have got tremendous respect for you. कोई बड़ा पोलिटिकल पर भाषण दो तो हम सुने। आप कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं पहले मुझे यह बता दें। कोई प्रिंसिपल्ड भाषण दें तो हम सुनें। आप कौनसी पार्टी की बात कर रहे हैं ? पहले तो आप यह बता दे। आपकी पार्टी लोग दल है ना तो आप अपना नाम लेना तो भूल गये कि आपने देश के लिए क्या किया। **(व्यवधान)** कोई तो अपनी पार्टी का समर्थन करो। **(व्यवधान)** कभी आप इधर और कभी आप उधर की बात ....**(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर मैंने यह निवेदन किया है कि (व्यवधान)

श्री हंसराज भारद्वाज : नहीं आप अपनी पार्टी का कहिए **(व्यवधान)** आपने जोरदार सवाल किया है **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैंने दो प्रश्न पूछे हैं **(व्यवधान)** और चूंकि मैंने यहां पर कुछ घोषणा-पत्र पढ़े हैं मैं इस समय जनता पार्टी में हूं **(व्यवधान)**

श्री हंसराज भारद्वाज : कल आप कहां होंगे पता नहीं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं शुरू से ही जनता पार्टी में था और 1985 मे राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब चुनाव

आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से चुनाव कानून में संशोधन करने के लिए सुझाव मांगे तो सुझाव लोक दल ने भी—उस समय चौधरी चरण सिंह उसके अध्यक्ष थे लोक दल ने भी सुझाव भेजे जनता पार्टी ने भी सुझाव भेजे भारतीय जनता पार्टी ने भेजे और कुछ रीजनल पार्टीज जिनमें तेलगु देशम भी शामिल है, उसने, भी सुझाव भेजे, लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आज तक 1985, 1986, 1987 और 1988 बीत गया, कांग्रेस पार्टी जिसके सदस्य श्री भारद्वाज जी भी हैं, जिसके राष्ट्रीय नेता, देश के प्रधान मंत्री हैं, इन्होंने चुनाव आयोग को आज तक अपनी पार्टी की ओर से एक भी सुझाव नहीं दिया है।

तो मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सुझाव के रूप में आप संशोधन को मानिये और यह मान कर के आप इस देश की जनता की भावनाओं का आदर करेंगे, जो युवा शक्ति है उसका आदर करेंगे और यह वही युवा शक्ति है जो देश के निर्माण के काम में, हर काम में भविष्य में सहयोग करेगी और हमारे जो युवा इस देश के भावी कर्णधार है, भावी राष्ट्र के भाग्य निर्माता हैं, उनको अधिकार मिलना ही चाहिए और मुझे पूरी आशा है कि इस संशोधन विधेयक को यह सरकार स्वीकार करने की कृपा करेगी और आज ही सदन में घोषणा करेगी।

श्री हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज इस सदन में जिस बिल पर चर्चा हो रही है कि मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी जाए, उस पर अभी भाषण में मालवीय जी ने अनेक बातें कहीं और यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ नहीं है। मुझको हैरत और ताज्जुब होता है। कांग्रेस पार्टी तो वह पार्टी है जो अपने देश को आजादी की लड़ाई की शुरुआत से लेकर आज तक नवयुवकों का सहयोग लेती रही है और उसके लिए हर जान की बाजी लगाती रही है और जिसको भी सर्वोच्च पद देने का मौका आया, उसका सर्वोच्च पद दिया गया और आज के नवयुवकों की और नारियों की एज है और आप जानते हैं कि नवयुवकों में जागृति किस पार्टी ने पैदा की—कांग्रेस पार्टी ने पैदा की और आज यूथ कांग्रेस जो है... (**व्यवधान**) आप कह सकते हैं... (**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : 20 जनवरी, 1948 को गांधी जी ने कहा था कि उस पार्टी को खत्म कर दिया जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : मालवीय जी, आपने बड़ा अच्छा भाषण दिया है। You must hear him also.

श्री हरि सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, जब मैंने नीयत का जिक्र किया और उसकी सच्चाई सामने रखने लगा तो मालवीय जी बेचैन हो गये और मैं फिर सच्चाई रखने जा रहा हूं। अभी ताजा-ताजा याद होगा कि हमारे राष्ट्र के प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम इस मामले पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की नीयत कहां खराब है। उनके सुनने और समझने में जरूर खराबी मालूम पड़ती है, ऐसा मुझे आभास होता है।

आप देखते हैं कि जब से आजादी मिली है, कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसने अपने कार्यक्रमों के जरिए अपने प्रोग्राम्स के जरिए, अपनी योजनाओं के जरिए, अपनी जो प्लानिंग है उसके जरिए, अपने जो दूसरे कार्यक्रम है, उनके जरिए जो देश के नवयुवक है, उनमें जागृति, उनमें संगठन, उनकी तरक्की और उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए सारा प्रोग्राम इसलिए ऐसा बनाया है कि आने वाली पीढ़ी देश के शासन में हिस्सा ले, भाग ले, देश की बागडोर संभालने के लिए वह समर्थ हो, यह भी कांग्रेस पार्टी करती आ रही है और मुझे यह कहने में हिचक नहीं है और मुझको कहने में कोई हिचक नहीं है, अगर बहुत बेताबी है मालवीय जी को कि 18 साल की आयु हो जाती और कांग्रेस पार्टी ने नहीं की और उन्होंने बहुत सारे हवाले दिए, मंत्रिगण ने जो जवाब दिए, उन सब जवाबों को अगर गौर से

[श्री हरि सिंह]

पढ़े तो सारे जवाब हमारे मंत्रिगण के आशावादी हैं कि यह काम करने का इरादा है, मन है और निश्चय है, लेकिन आप देखिए सन् 1977 में आपकी सरकार आई पूर्ण बहुमत से और राज्यों में भी आपकी सरकारें आ गई, मालवीय जी तब आपने यह बात नहीं कही कि इसे कर दीजिए। आप तब नहीं कर पाए और अब सारी तोहमत हमारी सरकार के ऊपर थोपी जाती हैं, जबकि राष्ट्र के नवयुवकों को जगाने का शंखनाद कांग्रेस पार्टी ने किया। इसको कहते हुए मुझे खुशी है कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र आप पढ़िए, आप उनके कार्यक्रम देखिए, जो चुनाव संबंधी गाइड-लाईन्ज है उनको पढ़िए तब पता चलेगा।... (व्यवधान)

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : यह आप कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं।

श्री हरि सिंह मैं गवर्नमेंट का प्रोग्राम बता रहा हूं और यह जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम है यह यूथ कार्यक्रम है जो नई पीढ़ी है उसको जगाने का कार्यक्रम है। आप कहते हैं कि शासन में साझेदार बनाईए। साझेदार कैसे होंगे जबकि उनके अन्दर नेतृत्व नहीं आयेगा, हिन्दुस्तान के संविधान के बारे में समझदारी नहीं आएगी और हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के बारे में उनको मालूम नहीं होगा। हमारे जो हीरोज है, जो देश के नए निर्माता नहीं बल्कि जिस पीढ़ी ने हमारे देश को उठाने के लिए, आजादी लाने के लिए अपनी जाने कुर्बानी की यदि आज ने नवयुवक उसको नहीं जानेंगे तो भविष्य क्या होगा? जो पीढ़ी भूत और भविष्य को नहीं जोड़ सकती उसके हाथ में अगर सत्ता दे देंगे तो क्या होगा? कांग्रेस पार्टी तो यही बात कर रही है और उसका यह ठोस प्रोग्राम है और नवयुवकों के लिए है। यह तोहमत लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ नहीं है और सरकार की नीयत साफ नहीं है, वायदे करने चले आ रहे है और कुछ किया नहीं है तो जैसा मैंने अभी इंगित किया कि 1977 में आपकी सरकार थी और आप उस समय कहां सोते चले गए थे? कहां आपको नींद आ गई और आप किस नींद में चले गए? आपने इतना हवाला दिया। आप उस समय कहते हमें कि आप तो 20 साल से सरकार में थे और आपने यह किया नहीं और जब हम 1977 में सत्ता में आए हैं और अब हम 18 साल की आयु इसके लिए करते हैं। आपने यह सब क्यों नहीं किया? तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सदन में जो बे सिर-पैर की बातें कहने का जो सिलसिला चला रहता है वह ठीक नहीं है। सच्चाई को सच्चाई मानना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीयत बहुत साफ है और वह यह अपनी युवा पीढ़ी को और नौजवानों को अपनी धरोहर समझती है। कांग्रेस पार्टी समझती है कि आने वाला समय नौजवानों का होना चाहिए, आप देखिए कि नारी जगत के लिए नवयुवकों के लिए कितने कार्यक्रम हैं। जब चुनाव सुधारों की बात आती है हम समझते कि ये बहुत आवश्यक है और ये किए जाएं। जैसे कहता हूं कि चुनाव में जो खर्च हैं उनको कम किया जाना चाहिए। लेकिन आज एक सब से बड़ी बीमारी पैदा हो गई है जैसे कि अभी हमारे म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, श्रीमन् मैं उनका व्याखान नहीं करना चाहता, नौजवानों ने सारे जो इलैक्शन बूथ थे उनको कैप्चर कर लिया। तो आज जब हम इस यूथ को सत्ता और ताकत देना चाहते है, वोटिंग राइट देना, उम्मीदवार बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैच्योरिटी भी आनी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में जाइये, एक नई बीमारी चल पड़ी है वहां पर फेयर इलैक्शन नहीं होने देते। यह कौन करते हैं? यह नौजवान करते है। कांग्रेस पार्टी कैम्पेन चला करके सब काम करती है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम में आप देखिए, यह सरकारी कार्यक्रम है और यह यूथ के लिए है। मैं यह बात कहना चाहता हूं अगर मैं पटना के तौर पर नहीं कहता हूं कि जितने भी अनुभव हमारे है और हमारे राष्ट्र के जो नेता हैं प्रधान मंत्री जी वह युवा हैं। इसके लिए आपको गौरव होना चाहिए कि इतनी कम उम्र के हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं। दुनियां के किसी भी देश में इतनी कम उम्र के प्रधान मंत्री या

राष्ट्रपति नहीं हैं जितनी कि कम उम्र के हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। यह यूथ के लिए मोहब्बत की बात नहीं है तो और किसके लिए है? मैं पूछता हूं, उपसभाध्यक्ष जी, आप भी इस बात के लिए बता दीजिए कि अगर हमारे मन में हमारे दिल में नवयुवकों के लिए जगह नहीं होती, आस्था नहीं होती तो कैसे हम अपने देश का नौजवान प्रधान मंत्री बनाते? हमें मालूम है कि यूथ बिना देश नहीं चलेगा क्योंकि उसके पास एडवेंचर होता है, सेक्रीफाइस होता है और सूझ-बूझ होती है। आज अगर हम सही मायने में जायजा लें तो जो आज की एजुकेशन है उसमें बहुत परिवर्तन आया है। अब से पहले के जो हमारे नवयुवक है पुरानी पीढ़ी के नवयुवक जिस पीढ़ी में मैं नवयुवक था उसको बहुत कुछ मालूम ही नहीं था जितना कि आज के नवयुवक को मालूम है। यह बात सही है कि आज बड़े परिवर्तन आए हैं और देश ने बहुत प्रगति की है, आज टेलीविजन है, रेडियो है, कम्युनिकेशन है। तालीम का जो पैट्रर्न आज सरकार ने बदला है उससे विद्यार्थियों में चेतना आई है। आप जानते है, आप किस देहात में जो विद्यार्थी है उससे पूछिए तो वह सारी दुनिया की राजधानियों को बता देगा और कहां कहा क्या हो रहा है। यह सारी चेतना शिक्षा के कारण आ रही है और सरकार के मन में भी है कि हमारा जो यूथ है उसमें यह चीज आनी चाहिए तो मैं कहना चाह रहा था कि जिस पीढ़ी की शिकायतें करते चले आ रहे है और आज की पीढ़ी में फर्क है। आज का नवयुवक, विधार्थी जागरूक है, चैतन्य है, वह समझता है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि नवयुवकों के हाथ में सत्ता सौपेंगे तो वह अच्छा भी चलाएंगे। कई जगह सामने आया भी।

एक माननीय सदस्य: असम में जैसा हुआ।

श्री हरि सिंह: जी हां, यह देखकर के मुझे खुशी होती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इलैक्शन में नई बीमारी चली है। अगर हमारे नवयुवकों में यह प्रणाली चली, ढींगा-मस्ती या डंडे के जोर पर तो वोटिंग-एज घटाकर आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो यह हो कि इलेक्शन फ्री-फेयर चलें, जो कि डेमोक्रेसी का उसूल है, प्रजातंत्र का उसूल है कि आदमी स्वतंत्रता से अपने विचार प्रकट करें, प्रचार करें, अपनी सारी चीजें करें, जाकर अपने लोगों से मिलें, कन्वेसिंग करें। लेकिन आप जानते हैं सौ दादा इकट्ठे करके हो जाते। माफ कीजिएगा, पश्चिमी जिलों में कम हो पाता है, लेकिन पूर्वी जिलों में, चाहे बिहार का हिस्सा हो या हमारे यू0पी0 का हिस्सा हो, वहां जो हालत है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते।

तो मान्यवर, यूथ जिसको आप हर हालत में चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, लेकिन उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि आने वाला जो शासन है, वह कैसे चलाना है, महज उम्र घटा देने से बात नहीं बनती। इससे कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसके लिए हमारी सरकार को इंतजाम करना होता है, दूसरे काम करना होते है, इतने भारी खर्चे होने होते हैं। मैं समझता हूं, वोटिंग राइट दे दिया तो बड़ा भारी वक्त लग जाएगा और वक्त पर चनाव कराना संभव होगा भी या नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि हमारी सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): यह सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री हरि सिंह: हां, हां, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार के पार्ट हम और आप भी तो हैं। जो उसकी पीड़ा है, उसकी जिम्मेदारी है, यह भी विचार योग्य है। यूथ का देश के काम में, देश के शासन में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन कौन यूथ हो, यह भी आज बड़ा सवाल है? यूथ कौन हो, यूथ नागरिक कौन हो, उसका ढांचा कैसा हो, उसकी कितनी हो, उसमें

[श्री हरि सिंह]

पैदा हुई या नहीं, उसका उसे ज्ञान है या नहीं, प्रजातंत्र से उसको मोहब्बत है या नहीं, उसके मन में हिन्दुस्तान के संविधान के प्रति आस्था है या नहीं, यह सब हमको देखना पड़ेगा और तब हमको उम्र घटाने के सवाल पर सोचना चाहिए।

मान्यवर, जैसा मैंने कहा, हमारी सरकार की नियत बिल्कुल ठीक है। प्रधान मंत्री जी ने इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए तो हमारे जनमोर्चा के नेतागण कहने लगे कि हमारा प्रोग्राम चुरा लिया। अरे, आप बातों में करो, हम तो अमल में करना चाहते हैं। यह चुरा क्या लिया? आपके पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है और अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि चुरा लिया, गायब कर दिया। अपने मुँह मियां मिट्ठू वाली बात आप करते हैं।

श्रीमन्, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो बिल की भावना है, ठीक है। लेकिन आज के यूथ का जो ट्रेंड है, उस पर विचार जरूरी है। पहले उनको योग्य बना लें और जब समझ लें योग्य है, तब ऐसे अहम् सवाल पर हमको गम्भीरता से आना चाहिए।

इन्हीं अलफाज़ के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं और कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की नियत बड़ी साफ है, सरकार की नियत साफ है, यूथ कांग्रेस पार्टी के साथ है, उससे लगा हुआ है और उसके साथ रहेगा। धन्यवाद।

Shri M. A. Baby: Mr. Vice-Chairman, Sir, *first* of all, I would like to express my unqualified support to the Bill brought forward by my respected, experienced and veteran colleague, Shri Satya Prakash Malaviya. Unfortunately, before I join issue with my respected colleague from the other side on the points raised by him, he has quit the House, perhaps fearing what I will have to say.

Sir, in the course of his speech, he made certain points. Sir, should I reserve my comments till he comes back? Anyhow, for the sake of record, I would like to mention something regarding the commitment of the Congress (I) Party to democracy. That was the main theme of the speech of my colleague. Regular election is the hallmark of any democratic process. I wanted to know from my respected colleague, for how many years elections have not been held in the Congress (I)? If elections are to be held in our country, certain processes are to be followed. The Election Commission is there. They have to announce the elections and all that. So far as election within Congress(I) is concerned, that is the internal matter of Congress(I). If Congress(I) is committed to democracy, then Congress(I) should hold elections to all committees and to all offices. If my information is correct, for more than 12 years—I stand corrected—for more than 12 or 13 years there has been no election in Congress(I)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): How is that relevant to this?

SHRI M. A. BABY: My learned colleague spoke of the Commitment of Congress(I) to democracy. So unless one has an amazing quantum of hyprocrisy, one cannot speak from Congress benches that Congress(I) is committed to democratic process. What is the commitment of Congress(I) to the electoral process of our country? We know what happened after the elections of 1971 between Mrs. Indira Gandhi, former Prime Minister, who is no more, and Mr. Rajnarain. What was the verdict of the Allahabad High Court? I do not want to go into all that. I am just reminding my learned colleagues from the other side who go on speaking about the commitment of Congress(I) to democracy and electoral process to have a sincere introspection. When the Allahabad High Court came out with the verdict...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The Bill is very much

limited. The Bill is not for that purpose. It is only for reducing the age from 21 to 18.

SHRI M. A. BABY: I am coming to the Bill. If you can allow me, I want to discuss some wider issues relating to electoral reforms. So following the Allahabad High Court verdict, having failed to obtain an unconditional stay of the Allahabad High Court verdict from the Supreme Court an electoral reform was brought in with retrospective effect so that the period of 1971 can also be included. All of us know about that. To get out of the legal nuances of the then electoral law and to circumvent the verdict of the Supreme Court, before the appeal was taken up in the Supreme Court this electoral law was brought in during emergency with retrospective effect. This is the commitment of Congress(I) to electoral process in our country. I do not want to speak about what happened in Tripura. This has been discussed time and again. My colleagues have spoken about booth capturing by the youth and all that. Of course, the youth participate in booth capturing also. The youth participate in many anti-social activities of our society, unfortunately. That is the plight of our society. And the youth are not alone in that. Old people also participate in that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That is correct.

SHRI M. A. BABY: So we have to deal with that problem separately. This is a social problem. So my argument is that we have to look at it from a wider angle and we should have a discussion on all aspects of electoral reforms, and I consider that the Bill that we are discussing assumes greater importance by way of rejuvenating the democratic forces in our country as has been ably explained by my veteran colleague. So I do not want to repeat; I do not want to cover the same ground again. Now, as has been mentioned, if 18 years can be considered as a mature age for many other social activities, many other social responsibilities, why can't this be considered for voting? This is a very simple question that has been raised.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Not only social, but legal also.

SHRI M. A. BABY: Yes, legal also. Now, for the last 40 years, since Independence, we have been demanding it. The youth organisations have been demanding it. Our Democratic Federation of India has demanded it. The Youth Congress has demanded it. The youth organisations belonging to all the political parties or not belonging to any political party have been demanding it. Why has this not been implemented so far? Now, some discussion has started. My humble submission is that this very same Government should implement it. Voting age should be brought down to 18 years. Why has this been mooted by the Congress Party? It is with an eye to win over the youth to its side by propagating it as an achievement of the Congress(I) Central Government. I do not want to take away that credit from the Congress (I) Central Government. I want the Congress(I) Central Government to implement it because this is the last chance for the Congress(I) Central Government to do something. If you fail to implement it now, then it will be implemented by the new Government, a different Government. This is my contention. If you implement it now during the tenure of this Lok Sabha, then the defeat of the Congress(I) will be far more severe because politically-conscious youth will be able to participate in the electoral process. I hope that this will be understood by the country at large.

Unnecessarily a statemnt has been brought out by my esteemed colleague from the other side in relation to the Prime Minister. The name of the Prime Minister should not have been brought in here. I do not know whether anybody from our side has spoken about the Prime Minister. As he has mentioned something about the Prime Minister. I would like to set the record straight. My colleague said that the Prime Minister should be respected. I do not have any difference of opinion on that. Every Prime Minister of the country should be respected. But unfortunately

[Shri M. A. Baby]

something more has been added by my colleague. My hon colleague said that the Prime Minister should be above everybody else. I would beg to differ on this. There is a certain category which is above the Prime Minister or even above the President. I refer to the people of this country. The people of this country are above anybody who occupics any office. This is our understanding. If somebody considers that somebody occupying some office is above the country and the people of the country, then I feel sorry for him.

Mr. Vice-Chairman, Sir, today the House, in a united voice, demands that this Private Member's Bill should be either passed by the Government or the Government should come out with an assurance that a legislation is going to be initiated by the Treasury Benches to give effect to this proposal. Fortunately we are discussing this aspect now. So, it is an opportunity for the Government to come out with such a statement so that some formulations which are circulating around in the capital can be dispelled. The Goevrnment has accepted certain private Members' Bills. The Government accepted in the other House the essence of a Private Member's Bill and brought out the now infamous Muslim Women Bill. The Government did not have any compunction to jump on that Bill of Mr. Banatwala, and said, yes, we are going to bring in a legislation. So, now the Government is getting an opportunity to prove that for not only some non-progressive measures but for some progressive measures also the Government is prepared to take up the essence of a Private Member's Bill.

With these words, Sir, while once again strongly supporting the demand for the reduction of voting age to 18, I conclude.

Thank you, Sir.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष, महोदय मैं बिल पर बोलने से पहले आप से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो गैर सरकारी विधेयक आते हैं उनका भी समय निश्चित कर दिया जाये तो ज्यादा लोग इसमें भाग ले सकेंगे और ज्यादा सुझाव आया करेंगे, मैं अपने को भी उसमें निहित कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष, महोदय जो प्रस्ताव मालवीय जी ने विधेयक के रूप में यहां रखा है उसकी भावना से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। वास्तव में हमारी पार्टी का जो उन्होंने जिक्र किया, हमारी पार्टी में यह प्रस्ताव आ चुका था और गाडगिल कमेटी ने भी उसको पास कर दिया था, हमारे ए० आई० सी० सी० ने भी उसको सर्वसम्मति से पास कर दिया। वर्किंग कमेटी ने भी उसको पास कर दिया की मतदान की उम्र 18 साल से होनी चाहिए। इसलिए मालवीय जी ज्यादा तर्क में नहीं जाते तो अच्छा था। हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जब इसको मान लिया तो उसको कार्यरूप देने का काम हमारे विधि मंत्री जी करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 18 साल की उम्र का व्यक्ति वोट देने का अधिकारी हो, सभी इस बात को हमेशा से उठाया जाता रहा है, इसमें दो राये नही है, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के लोग हों, सभी इस बात को कहते आये हैं। अब समय आ गया है कि 18 साल की उम्र की वोटर लिस्ट बनाई जाए और जो लोग 18 साल के हो गये हों उनको वोटर लिस्ट में रखा जाए। कुछ राज्यों में तो ऐसा हो भी चुका है, जिसके उदाहरण यहां पर दिए गए हैं, इसलिए यह देश व्यापी हो जाए तो अच्छा होगा। इस प्रस्ताव की भावना अच्छी है, उन की इस भावना का मै समर्थन करता हूं। मैं विधि मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इसको मान लिया है, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसको मान लिया है, जब गाडगिल कमेटी ने इसका सुझाव दिया है तो उस पर शीघ्रता के साथ अमल करें और 18 साल की उम्र चुनाव के लिए घोषित करें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, उम्र के बारे में मेरी धारणा कुछ भिन्न है क्योंकि उम्र का उपयोग सर्विसेज में भी होता है चुनाव लड़ने के लिए भी होता है,

इसलिए बूढ़े और युवक की परिभाषा मेरी कुछ अलग है । मैं कहता हूं कि उमंग रहित, उत्साह रहित, नौजवान को नवयुवक कहना ठीक नहीं है । और उमंग सहित, उत्साह सहित बूढ़े को बूढ़ा कहना भी उपयुक्त नहीं है । उत्साह और उमंग यदि है तो उम्र उसके पीछे कोई माने नहीं रखती है । उसकी कार्य-क्षमता देखी जानी चाहिए । कार्यक्षमता की दृष्टि से अगर हम अधिकार और कर्त्तव्य एक दूसरे को सौंपे तो ठीक होगा। 18 साल की उम्र के प्रस्ताव का तो मैं हृदय से समर्थन करता हूं मैं सरकार से आशा करता हू कि शीघ्रातिशीघ्र इसको अमल में लाएं । मुझे उमीद है कि हमारे प्रधान मंत्री जी, हमारे विधि मंत्री जी हमारी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का तथा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो प्रस्ताव है उसको शीघ्र लागू करेंगे। हर्ष ध्वनि के साथ आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पास किया है। हमारी कांग्रेस कमेटी की मंशा यही है जो मालवीय जी लाये है और दूसरे विरोधी दलों की ओर से भी यह प्रस्ताव आया है। कुछ जगहों पर इस पर अमल भी हो रहा है। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सारे देश में समर्थन प्राप्त है। लिहाजा यह सर्वमान्य ही है और इसको मान लेना चाहिय। मैं इस राय का हूं कि जो बोलता हूं डेमोक्रेसी के लिये उसको करने का प्रयत्न करता हूं। डेमोक्रसी जो हमारी जीवित रहती है वह सजग, सावधान जनता से रहती है। उसमें युवक भी आ सकते हैं जो सजग भी हों, सावधान भी हो, सशक्त और समझदार भी हों । यही से डेमोक्रेसी की नींव मजबूत होती है और उससे ज्यादा मजबूत होती है हमारी डेमोक्रेसी पक्ष और विपक्ष से। उपसभाध्यक्ष महोदय, पक्ष और विपक्ष की परिभाषा जब मैं करता हूं तो मैं हृदय से कहता हूं कि सरकार के अच्छ कामों का समर्थन विपक्ष को बिना किसी संकोच के कर देना चाहिये और विपक्ष के जो अच्छे सुझाव हैं उनको सरकार को मान्यता दे देनी चाहिये । इसमें यह नहीं होना चाहिय कि कोई अच्छी बात सरकार ने की उसका विपक्ष को विरोध करना ही है या अच्छे सुझाव विपक्ष की ओर से आये तो सरकार को उसका विरोध करना ही है। लिहाजा डेमोक्रेसी को जीवित रखना है तो यह जरूरी है कि पक्ष और विपक्ष द्वारा अच्छे सुझावों और अच्छे कामों को मान्यता मिलनी चाहिये ।

मैं यहां युवकों की बात कहना चाहता हूं । देशव्यापी यूथ पार्लियामेंट 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की होती है । उसमें मैं जाता हूं। मैं कोहिमा गया हूं, बंगलोर गया हूं, पूना गया हूं, हरियाणा, राजस्थान. मध्य प्रदेश दिल्ली, यू.पी. और पता नहीं कहां-कहां मैं गया हूं। मैं स्वयं चाहता हूं कि हमारे देश में डेमोक्रसी जीवित रहे। पडोस के बहुत से राष्ट्रों में भी डेमोक्रेसी चली गयी है। पाकिस्तान में चुनाव हुये है। देखिये वहां क्या होता है। अभी से पता नही क्या-क्या सुनते है। हम सब चाहते है हमारे देश में डेमोक्रसी जीवित रहे । नव पीढ़ी में जन भावना, कर्तव्य की भावना, एक साथ बैठ कर, मिलकर चलने की भावना, विचार शक्ति सहने की भावना, कटाक्ष सहने की भावना यूथ पार्लियामेंट द्वारा सारे देश में आ रही है। मैं कभी-कभी राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों से कहा करता हूं कि आप हमारे साथ चल कर देखो कि यूथ पार्लियामेंट के बच्चे कैसे स्पीकर बनते हैं, प्रधान मंत्री बनते है; होम मिनिस्टर बनते है; विपक्ष के लीडर बनते हैं और किस तरह से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर बहस करते हैं, चिन्तन करते है। मैं कम से कम उनसे यह तो शिक्षा ले रहा हूं कि वे बच्चे 18 साल से नीचे के बच्चे हमारी चाहे पंजाब की समस्या हो, चाहे हमारी सीमाओं की रक्षा की समस्या हो, चाहे हमारी वित्तीय समस्यायें हों, इन सब पर ये बच्चे बहस करते है। मैं उनसे मजाक-मजाक में बोला करता हूं युवा पार्लियामेंट के बच्चों तुमने जिस तरह की भावना यहां पर व्यक्त की है और जिस तरह का तुम्हारा ज्ञान बढ़ता है, विचार व्यक्त करने की क्षमता है, विचारों को, भावों को जिस ढंग से समझाने की क्षमता है उससे लगता है यह डेमोक्रेसी हमेशा हमेशा जीवित रहेगी । इस प्रकार की यूथ पार्लियामेंट मैं सारे देश में करा रहा हूं। मुझे जरा भी संकोच नहीं रहता कि हमारे देश की डेमोक्रेसी को कोई खतरा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यूथ बच्चे जो डेमोक्रेसी के लिये कर रहे हैं इनको बल मिलना चाहिये और हमें जाकर देखना चाहिय । मैं आपका अधिक समय

[श्री राम चन्द्र विकल]

नहीं लूंगा। मैं आपका आभार मानता हूं इन शब्दों के साथ कि 18 साल से नीचे के बच्चे यूथ पार्लियामेंट कर रहे है, देश के सभी राज्यों में यह प्रोग्राम चल रहा है इनको हम बल दें। मैं समझता हूं इस भावी पीढ़ी से हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी बराबर जीवित रहेगी। मैं मजाक में कभी-कभी उनसे कहता हूं कि चुनाव तुम लड़ोगे तो अवश्य जीत जाओगे और सफल पार्लियामेंटेरियन बन जाओगे। मालवीय जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि भारद्वाज जी, ऐसे प्रस्ताव को जो कांग्रेस पार्टी द्वारा सर्व-सम्मति से पास हो चुका है, आप उनको इस बात के लिये मनवा लें कि हमारी सरकार की तरफ से यह आने वाला है, यह सरकार का कार्यक्रम है, मैं चाहूंगा आप इसको जल्दी से जल्दी लायें। मैं इतना ही कहूंगा कि यह मालवीय जी का गैर-सरकारी प्रस्ताव उप-योगी प्रस्ताव है। इस पर कारगर अमल होना चाहिये सरकार की तरफ से। डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष, दोनों होते है। दोनों को लेकर हमें चलना है। डेमोक्रेसी के अन्दर हमें बच्चों, युवकों, बूढ़ों, सबको लेकर चलना होता है। मैं तो यही चाहता हूं। कि हमारे देश में सब के सहयोग से हमारी डेमोक्रेसी अमर बनी रहे। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभार मानता हूं।

श्री वी० सत्यनारायण रड्डी : उपसभाध्यक्ष जी, श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी जो यह संविधान (संशोधन) विधेयक, 1988 लाये हैं उसमें वे अनुच्छेद 326 का संशोधन चाहते हैं। यह बहुत ही अच्छा है मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे कांस्टिट्यूशन में जो आयु 21 वर्ष दी गयी है उसको 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष करने के संबंध में मांग आज की नहीं है, यह जमाने से की जा रही है। सभी दलों और सभी पार्टियों की तरफ से यह मांग की जाती रही है। श्री भारद्वाज जी हमारे विधि मंत्री हैं, मैं समझता हूं कि वे भी इससे अलग राय नहीं रखते होंगे। उनकी सत्तारूढ़ पार्टी ने भी अभी हाल ही में इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया है कि मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए। उन्होंने एक गाडगिल कमेटी बनाई थी, उसने इस तरह की रिपोर्ट दी है। श्री मालवीय जी जिस प्रकार का संशोधन चाहते हैं मैं नहीं समझता कि उसमें मंत्री महोदय को कोई एतराज होगा। यह सिर्फ सरकारी पार्टी की ही मांग नहीं है, सभी पार्टियां इस मांग को कर रही हैं। जैसा मैंने कहा, एक जमाने से यह मांग की जाती रही है। जब समाजवादी पार्टी और उसके नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डा. राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेन्द्रदेव जैसे लोगों ने उस वक्त भी इस सवाल पर विचार किया था। उस वक्त मैं भी राजनीति में हिस्सा लेने लगा था और इन समस्याओं पर चर्चा करने लगा था। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने यह सुझाव दिया था कि नवजवान जो 18 वर्ष के हो चुके हैं उनको वोट देने का हक होना चाहिये। उस वक्त से वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की मांग की जाती रही है हर दल ने कमोबेश इस मांग को माना है। किसी भी दल ने आज तक इस मांग का विरोध नहीं किया है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस इस अधिकार को छीनना चाहती है।

इस बारे में आपका ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश भवन में सभी पार्टियों का एक सम्मेलन हुआ था और उसके बाद एक वक्तव्य दिया गया था। उसका मैं आपके सामने सारांश रखना चाहता हूं। यह इलक्टोरल रिफार्म के संबंध में है जिसमें 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष वोटिंग उम्र करने के बारे में एक अंश है। यह सम्मेलन 25 अक्तूबर, 1987 को आंध्र प्रदेश भवन में श्री एन. टी. रामाराव, मुख्य मंत्री आंध्र प्रदेश ने बुलाया था। अब वे नेशनल फ्रन्ट के चेयर-मैन भी हैं। उस सम्मेलन में सभी पार्टियों को बुलाया गया था। कांग्रेस पार्टी को भी बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं आये, पता नहीं क्यों नहीं आये। सभी पार्टियों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। उस सम्मेलन ने एक वक्तव्य जारी किया जिसके बारे में श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी ने कहा कि श्री शंकरानन्द जी और सभी दलों को बुलाया है, उनके सामने भी यह वक्तव्य है।

यह वक्तव्य सरकार के सामने पेश किये।

4.00 p.m. आज श्री शंकरानन्द जी मुख्तलिफ राजनीतिक दलों को बुला कर बात करने वाले हैं यह तमाम चीजें भी सरकार के सामने रखी जा रही है। जो वक्तव्य उस वक्त तैयार किया गया चुनाव सुधारों के संबंध में उनमें करीब-करीब 18 अंश हैं जो कि अमल में लाये जाने चाहिये। यह सरकार के सामने सभी दलों ने मुत्तफिक राय से केन्द्रीय सरकार के सामने पेश किये, चुनाव आयोग को भेज दिये। उसमें एक अंश यह भी है जिसको मैं आपको पढ़ कर बताना चाहता हूं।

'Reduction in the voting age from 21 years to 18 years.'

सभी दलों ने साफ-साफ इसको मान लिया है। यह कोई नयी चीज नहीं है, नयी मांग नहीं है जैसे हमने पहले कहा कई दलों ने कई जमाने से यह सरकार के सामने मांग रखी है, रखते रहे हैं। जनता यह चाहती है, नौजवान यह चाहते हैं कि वोटिंग एज का रिडक्शन हो। यह सिर्फ वोटिंग एज को कम करने का ही नहीं है बल्कि चुनाव कानूनों में और भी संशोधन करने चाहियें इस सम्बन्ध में सदन में भी और बाहर भी चर्चा हुई है और मंत्री महोदय ने भी कई बार इस सदन में आश्वासन दिया है कि हम चुनाव सुधार करने वाले हैं। इसके संबंध में सरकार गंभीरता से सोच रही है लेकिन मैं एक बार फिर मंत्री जी का ध्यान और केंद्रीय सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। इस संबंध में आप ज्यादा समय व्यर्थ न करें और जो इस देश की जनता की मांग है अगर प्रजातंत्र को ठीक ढंग से चलाना है देश के अंदर देश के लोगों की जो प्रजातंत्र में रुचि है उसको कायम रखना है और सभी लोगों को इसमें अपने अधिकार को ठीक ढंग से उपयोग करने का मौका देना है तो यह चुनाव सुधार जरूर लाना चाहिये। इस में किसी भी तरह से पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत सी अहम चीजें है एक अहम चीज यह है कि वोटर की एज 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी जाए। दूसरी जो अहम चीज है इसमें वह यह है कि 'State funding of election expenses for the Lok Sabha and Assembly elections.'

यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव सुधार है। जब वोटिंग एज के बारे में प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका मिला है तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि स्टेट फंडिंग आफ इलैक्शन भी होना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि एक ईमानदार आदमी एक पढ़ा-लिखा आदमी अगर चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है, देश और समाज की खिदमत करना चाहता है तो उसको मौका नहीं मिलता है। या तो पार्टी को पैसा देना पड़ेगा या खुद को ऐसा काम करना पड़ेगा जिसके लिये पार्टी पैसा जमा कर और चुनाव में खर्च करे। यह तो नामुमकिन बात है। आम आदमी के लिये चुनाव में इतना खर्च इतना बोझा बर्दाश्त करना सम्भव नहीं है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिये। अभी कानून बना हुआ है कि असेम्बली के चुनाव में उम्मीदवार इतने हजार रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता और लोक सभा के चुनाव में एक उम्मीदवार इतने हजार से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता फिर भी इस सीमा से 10 गुना, 15 गुना और 20 गुना खर्च होता है। इस प्रकार से कानून का उल्लंघन होता है। मगर सरकार अपने कानून से लोगों से झूठ बुलवाती है। इसको खत्म करना चाहिये। लोगों को ईमानदारी से चुनाव में हिस्सा लेने और ईमानदारी से देश और समाज की खिदमत करने का अवसर देना चाहिये। अगर ऐसा नहीं है तो आप जितने कानून बनाये वे सभी कागज पर रह जायेंगे, समाज का सुधार नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस पर मैं पार्टी की नजरों से नहीं बोल रहा हूं यह तो सब पार्टियों को सारे लोगों को सोचना चाहिये कि समाज और देश को सुधारने के लिये क्या-क्या करना चाहिये। यह बहुत जरूरी है।

[illegible]

दूसरे भी सुझाव दिये गये हैं, जैसे पहले पार्लियामेंट और असेम्बलीज दोनों का चुनाव साथ-साथ हुआ करते थे। अब तो असेम्बलीज के चुनाव किसी और समय पर होते हैं तथा पार्लियामेंट के किसी और समय पर...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : पांच साल में दो दो बार होते हैं।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : दो दो बार होते हैं, तीन तीन बार भी होते है, इससे

[श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी]

कितना खर्च बढ़ता है और देश को कितना नुक्सान होता है। इस खर्च को घटाना चाहिये। उस सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि दोनों के चुनाव साथ-साथ होने चाहिये।

दूसरा सुझाव यह भी था :

Pending grant of autonomy to Doordarshan and All India Radio, making these media function under the directions of the Election Commission during the election period.

दूरदर्शन और रेडियो का इस्तेमाल निष्पक्षता से सभी के लिये होना चाहिये क्योंकि सारे देश की समस्या है, सारे समाज की समस्या है, इसमें कोई पार्टी की या राजनैतिक गुटबन्दी नहीं होनी चाहिये। आज आप की पार्टी सत्ता में है तो कल दूसरी पार्टी सत्ता में आ सकती है और परसों तीसरी पार्टी इसलिय जो बुनियादी सिद्धांत है उनको हमें नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये, उसके मुताबिक हमको आगे बढ़ना चाहिये। इसलिये इलेक्टोरल रिफार्म्स के बारे में जो सुझाव हैं, जो इस सम्मेलन में सरकार के सामने रखे गये हैं सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिये और इनको अमल में लाना चाहिये।

उसके साथ-साथ ...

Fixation of term of the local bodies and make elections constitutionally mandatory at specified intervals.

यह भी बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा एक सुझाव है :

Constitution of multimember Election Commission by the President, in consultation with the Chief Justice of India, the Prime Minister and the leaders of opposition, and formation of election Commissions at the State level.

यह भी एक सुझाव बहुत महत्वपर्ण है इसके सम्बन्ध में पहले भी हमने मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया था। दो तीन साल हो गये हैं पता नहीं क्या हुआ है। इस सम्बन्ध में मैंने अपनी राय रखी थी और दूसरे दलों ने भी इस चीज को दोहराया है। दूसरा एक और अहम सुझाव यह भी है कि :

Introduction of electronic voting system for elections.

इसका तजुर्बा भी हो चुका है। पहले केरल में हुआ है, उसके बाद हमारी स्टेट में भी एक असेम्बली कांस्टीट्यूएंसी में इसका तजर्बा हुआ और बहुत ही सक सफल हुआ। इसको भी सरकार को अपने ध्यान में रखना चाहिये और इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिये। इससे जो पोलिंग बूथ्स में घपले होते हैं या दूसरे वोटर्स वगैरह गलत तरीके से वोटो का इस्तेमाल करते हैं उनमें कुछ कमी आयेगी ऐसा मैं समझता हूं।

आज मालवीय जी जो विधेयक सदन के सामने लाये हैं इसके सम्बन्ध में कई मित्रों ने और खासकर सिंह साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है, और नौजवानों को प्रोत्साहित कर रही है तथा प्रधान मंत्री जी नौजवान है। हम किसी के बारे में यह नहीं कहेंगे कि यह नौजवान है यह नहीं है। विकल जी ने कहा कि उम्र से सम्बन्ध नहीं है, इरादे से संबंध है। कोई नौजवान हो सकता है लेकिन अगर उसके काम करने का मुसम्मम इरादा नहीं है तो फिर नौजवान या बढ़ापे वाली बात बेकार हो जायेगी। मेरे कहने का मतलब है कि हम जो भी करना चाहते हैं दृढ निश्चय और विश्वास से उसको अमल में लाने का सवाल है।

अभी कुछ मित्रों ने कहा, मि० सिंह ने भी और दूसरे दोस्तों ने कि यह जो सत्ता में, केन्द्र में पार्टी है उसका यह इरादा है, विश्वास है कि वह सब चीजों को करना चाहती है, मगर सवाल यह है कि क्यों नहीं किया है—सवाल इतना ही है। इसको अमल में लाना है और सदन के सामने कोई ऐसा प्रस्ताव या विधेयक जल्द से जल्द लाना चाहिये और उसको पास करवाना चाहिये और हमने प्रधान मंत्री को कई बार भाषण देते सुना है कि "हमको देखना है, हम देखेंगे"। हम देखते रहेंगे तो देखते ही रहेंगे हमें तो करना है, यह सवाल है, करके बताना है।

तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कुछ कदम उठाये, खाली कहते रहने से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर हम जनता को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं क्योंकि आश्वासन देते हो रहेंगे और जनता को हम कोई ठोस काम करके नहीं बता रहे हैं जिससे कि जनता संतुष्ट हो कि यह सही माने में कुछ करना चाहते हैं और विकल जी ने प्रारंभ में बहुत ही अच्छी बात कही.. उन्होंने कहा कि विधेयक में जो कुछ संशोधन माननीय जी चाहते हैं, उसका उन्होंने पूर्ण तरीके से अपना मत बताया और अपने विचार ठीक ढंग से रखे कि सरकार को इसे मानने में पीछे नहीं हटना चाहिये जो इस संशोधन में बताया गया है, इसको मानना चाहिये।

मैं भी सरकार से यही चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार—क्योंकि श्री मालवीय जी जनता पार्टी के संसद में सदस्य हैं, उनकी तरफ से यह संशोधन आया है, ऐसा न सोच करके, अगर यह देश के हित में है, समाज के हित में है, तो सरकार को चाहिये कि इस विधेयक को जो माननीय जी लाये हैं, वह मंजूर करे। मैं इतना ही कह कर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी की ओर से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में एक साधारण सा संशोधन करने के लिये जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका हृदय से अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं।

[उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा)] पीठासीन हुए

मान्यवर, यह संशोधन इसलिये किया जा रहा है, इसलिये प्रस्तावित है कि इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग मताधिकार के अधिकार से वंचित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 मे लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के लिये जो योग्यता, अर्हता दी गई है, उसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम का न हो, वह मतदाता हो सकता है।

. . . . .

माननीय मालवीय जी यह चाहते हैं, मैं समझता हूं कि पूरा सदन चाहता होगा और पूरा देश चाहता होगा और आप भी इसी विचारधारा के होंगे कि संविधान के अनुच्छेद 326 में जो 21 वर्ष है, इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया जाए। इसमें सरकार की कोई हानि नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों नौजवान मतदान का अधिकार पा जायेंगे। माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी ने बहुत विद्वतापूर्ण तर्क प्रस्तुत किया है, प्रमाणों सहित, इतिहास सहित और इस पर जो विद्वान लोगों के, जानकार लोगों के सुझाव आये हैं, उन सब के साथ माननीय मालवीय जी ने तर्क प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि माननीय विधि और न्याय मंत्री जी जो सदन में विराजमान हैं इन्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। इन्हें इसे स्वीकार करना चाहिये और इसकी घोषणा कर देनी चाहिये, इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे आप कोई विधेयक ले आयें और कानून बने या विपक्ष की तरफ से कोई विधेयक आये और कानून बने, अगर वह कानून देश हित में है, जनतन्त्र के हित में है और सही कानून है, सही विधेयक है, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिये और माननीय न्याय और विधि मंत्री जी को आज यह स्पष्ट रूप से घोषणा कर देनी चाहिये कि संविधान में जो संशोधन प्रस्तावित है जिसके लिये आज यह संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है यह सही है और इसको

[श्री ईश दत्त यादव]

स्वीकार करके घोषणा कर दें। अगर माननीय विधि और न्याय मंत्री जी इस प्रकार की घोषणा नहीं करते हैं तो मैं नहीं बल्कि इस देश की असंख्य जनता जिसकी जनतन्त्र में आस्था है उसका यही मानना होगा कि माननीय मंत्री जी की सरकार की और इनकी पार्टी की नीयत एकदम साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो 1972 में लोक सभा और राज्य सभा की जो एक संसदीय उप समिति बनाई गई थी उस उप समिति ने भी जब आपकी ही पार्टी का शासन था, आपकी ही पार्टी के शासनकाल में इस उप समिति ने सर्वसम्मति से यह संस्तुति की थी कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर देनी चाहिये। आज माननीय मालवीय जी ने प्रमाण दिया आप यह भी कहते हैं और मैंने भी समाचार-पत्रों में पढ़ा कि आपकी कांग्रेस पार्टी के किसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया और अगर इस तरह का निर्णय लिया जाता है और इस तरह की संसदीय उप समिति की रिपोर्ट है, तमाम विधि वेत्ताओं का यह विचार है और देश की जम्हूरियत की रक्षा के लिये आवश्यक भी है, तो आपको निःसंकोच रूप से इसकी घोषणा कर देनी चाहिये। अगर घोषणा नहीं करते हैं तो आपकी नीयत साफ नहीं मानी जायेगी।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार चुनाव सुधारों का तो ढिंढोरा पीटती है कि चुनाव की जो प्रणाली है इसमें सुधार किए जायेंगे, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है और इसको सरकार करना नहीं चाहती इसलिये चुनाव सुधार नहीं करना चाहती कि अगर चुनाव सुधार हो जायेंगे तो उस पक्ष में जो लोग बैठे हैं इनको सड़क पर आ जाना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मान्यवर, जो विधान सभा, लोक सभा के निर्वाचन क्षेत्र होते हैं इनको डी-लिमिटेशन के लिये इनकी पुनः सीमा निर्धारण के लिये दस वर्ष का कानून है। चुनाव आयोग ने भी सरकार को लिखा कि डी-लिमिटेशन करा दिया जाये। मेरी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व सम्भवतः कोई इस तरह का बिल सदन में आया भी था या आने वाला था और सरकार ने जान-बूझ कर उसको रोक लिया, आज जो रिजर्व सीटें पड़ी हैं और 10 साल, 15 साल हो गए या 20 साल हो गए और वे सीटें आरक्षित पड़ी हुयी हैं, उस समय चुनाव आयुक्त शकधर साहब थे उन्होंने पहला तर्क दिया कि जो सीटें रिजर्व रहती और लम्बे काल तक आरक्षित रहती हैं तो वहां के मतदाता चुनाव और जनतन्त्र के प्रति निरुत्साहित हो जाते हैं। वहां का व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है वह अगर शैड्यूल्ड कास्ट का नहीं है तो वह चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित हो जाता है, लेकिन सरकार ने आज तक इसको नहीं किया। और 21 वर्ष की आयु को 18 वर्ष कर देने में आपका कोई नुकसान नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे सरकार के ऊपर कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ने वाला है, करोड़ों लोग तो मतदाता हो जायेंगे और जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 15 लाख रुपये के करीब ही भारत की संचित निधि से आपको व्यय करना पड़ेगा।

मान्यवर, इस देश में दो कानून एक साथ नहीं चलाने चाहिये। मैं समझता हूं कि किसी भी मुल्क में दो तरह के कानून नहीं बनते हैं लेकिन इस देश में जो सारे कानून हैं, उनमें व्यस्क होने की सीमा 18 वर्ष रखी गई है और चुनाव के लिये वयस्क होने की सीमा 21 वर्ष की गई है। तो इस तरह के दो कानून, दो तरह की व्यवस्था एक ही देश में नहीं रहनी चाहिये। एक तरफ तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद कोई भी

व्यक्ति आई०ए०एस० हो सकता है, आई०पी०एस० हो सकता है देश का शासन, प्रशासन चला सकता है, सारी व्यवस्था कर सकता है अपनी जमीन का हस्तांतरण कर सकता है अपनी संपत्ति को बेच सकता है और कानून यह कहता है कि 18 वर्ष की आयु हो जाने के बाद मन और मस्तिष्क से, बुद्धि और विचार से आदमी परिपक्व हो जाता है, वह सब कुछ अपने विवेक से कर सकता है और दूसरी तरफ मैं नहीं समझ पाता कि सरकार उसको अयोग्य क्यों समझ रही है तीन साल तक और, जो मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पायेगा। अगर वह 18 साल की आयु पूरी कर लेने के बाद सारा काम कर सकता है अपनी बुद्धि और विवेक से, तो वोट क्या सही तरीके से नहीं डाल सकेगा? अगर सरकार की नियत इस तरह की है, इसकी आवश्यक समझती है तो केवल कांग्रेस कमेटी की बैठकों में प्रोपेगण्डा करने से काम नहीं चलने वाला।

मान्यवर, माननीय हरि सिंह जो चले गए, सदन में नहीं हैं, वह सारा का सारा प्रचार कांग्रेस पार्टी का कर रहे थे, इस बिल पर न बोल करके। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कि अगर नियत साफ है सरकार की तो तुरन्त 21 साल की जो लिमिटेशन है, उसको घटाकर 18 साल करवाने की घोषणा करवाएं। इससे आपकी कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है बल्कि इससे बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा।

दूसरी चीज, मैं, मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और दूसरी कुछ सरकारों ने यह व्यवस्था कर दी कि लोकल-बोडीज के चुनाव में, स्थानीय निकायों के चुनाव में मतदाता की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं पिछले महीने ही और वह बहुत सफल चुनाव हुए हैं नगर-पालिकाओं के, स्थानीय निकायों के, ग्राम-सभाओं के और मतदाता सूचियों में 21 साल से 18 साल संशोधित करके। तो मैं कहना चाहता हूं कि यद्यपि चुनाव पार्टी-लाइन पर नहीं हुए, दलगत आधार पर नहीं हुए, लेकिन दलगत आधार स्पष्ट था कि पूरे उत्तर प्रदेश में करीब-करीब कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। यही कारण है कि इनकी नियत साफ नहीं होती। कांग्रेस पार्टी की बैठक में सब करेंगे, देश की जनता को कहेंगे कि हम चुनाव सुधार करना चाहते हैं, लेकिन चुनाव सुधार करेंगे नहीं।

मान्यवर, आज चुनाव-प्रणाली इस देश की दूषित हो गई है, सही और निष्पक्ष ढंग से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। आज जो चुनाव की व्यवस्था है, पीपल रिप्रजेंटेशन एक्ट जो है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है, व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। आधुनिक प्रणाली और नए तरीके से जब तक चुनाव नहीं कराए जाएंगे, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकेंगे और सही सरकार नहीं बन सकेगी।

मान्यवर, मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, किसी के प्रति अनादर नहीं रखना चाहता, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय जगमोहन सिन्हा ने निर्णय दिया था, भ्रष्टाचार की परिधि को

(श्री ईश दत्त यादव)

निर्धारित किया था और जब उस परिभाषा की परिधि के अंतर्गत तात्कालीन प्रधान मंत्री आई तो चुनाव उनका अवैध कर दिया था। और फिर सरकार ने ड्यूरिंग द पेंडेन्सी आफ द अपील इन द आनरेबल सुप्रीम कोर्ट आनन-फानन में पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट में संशोधन कर दिया था बचने के लिए। यह कांग्रेस पार्टी की सरकार इतने लंबे समय से शासन में है और यह इतनी लंबी अवधि से चर्चा चल रही है पूरे देश में इस विषय पर कि चुनाव में तमाम गड़बड़ियां होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है, फर्जी वोट पड़ते है, सत्ता पक्ष की ओर से अधिकारी लोग फर्जी वोट डालते है चुनाव समाप्ति का समय जब 5 बजे का रखा गया है उसके बाद फर्जी वोट डाल दिये जाते हैं तो बंडल-के-बंडल वोट्स बलेट बाक्सेज से निकलते हैं। तो यह सारी दुर्व्यवस्था है कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर पांच सौ बेलेट पेपर पड़े हैं तो निकलेंगे साढ़े 11 सौ और उस पोलिंग स्टेशन के कुल मतो की संख्या होगी नौ सौ। क्या सरकार की निगाह में इस तरह के तथ्य नही आए हैं? मान्यवर, कानून है कि जहां-कहीं 90 परसेंट से ज्यादा मतदान हो जाय वहा का चुनाव रद्द होना चाहिए। क्या सरकार ने कभी इस पर विचार किया है? मान्यवर तमाम विधान सभा क्षत्रों में 90 परसेंट से ज्यादा वोट पड़ जाया करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को और माननीय विधि मंत्री जी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वैसे तो विचार की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आपके सामने तो सारी चीजे स्पष्ट है। तमाम समितियां, उपसमितियां बनी है, विधिवेत्ताओं ने राय दी है. सब लोगों ने आपको कहा है कि इस देश की चुनाव प्रणाली दूषित हो गयी है। चुनाव प्रणाली में सुधार लाइए, लेकिन आप मौन बेठे हैं। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में कह देंगे कि हम यह करेंगे। आप के दो चुनाव घोषणा पत्र माननीय मालवीय जी ने पढ़कर सुनाए, हम विपक्ष के लोग हमेशा से सिफारिश कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस ओर ध्यान दीजिए। मैं माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी को सुन रहा था, आपकी बात से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप जानते ही नहीं कि नेशनल फ्रंट क्या है। अभी इस देश के अंदर जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप एक फ्रंट बना है और आप कह रहे हैं कि मैं तो जानता ही नहीं कि नेशनल फ्रंट क्या है? नेशनल फ्रंट के 71 प्रोग्राम बने हैं और उसमें यह कहा गया है कि चुनाव की आयु सीमा हम घटाएंगे। सन् 77 में जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम आयुसीमा घटाएंगे ... (**व्यवधान**) ... जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि हम चुनाव व्यवस्था में व्यापक सुधार करेंगे और आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करेंगे। लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा कि जनता पार्टी की सरकार, जो जनहित मे काम कर रही थी, वह थोडे समय तक रही। उसे समय नहीं मिला। लेकिन आपको यह कहने की गुंजाइश नहीं है। आप तो जब से इस देश में संसदीय प्रणाली कायम है जब से चुनाव की व्यवस्था चल रही है उस समय से निरंतर आपकी सरकार है सिर्फ ढाई वर्ष छोड़कर। अगर आपकी मंशा रहती आप सचमुच में चाहते कि इस देश में जनतंत्र मजबूत हो, चुनाव प्रणाली में सुधार हो, दूषित प्रणाली को समाप्त किया जाय तो आपके लिए यह कठिन काम नहीं है। आप तो सवेरे तय करते है और एक घंटे के अंदर प्रैस विधेयक पास कर ले जाते हैं। आप के लिए क्या कठिन काम है? आप तो कोई काम आनन-फानन में करा सकते हैं। यह हमारा देश जनतांत्रिक देश है, चुनाव के आधार पर सारी व्यवस्था चलती है यहां कोई राजा या रानी इस देश के अंदर नहीं है जिसका हुक्म चले या जिसका फरमान जारी हो। यहा तो भारतीय संविधान, जो पवित्र ग्रंथ है, इस भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत चुनाव की प्रणाली के माध्यम से सरकार स्थापित की जाती है और वह इस देश के अंदर सारी व्यवस्था करती है। इस देश की व्यवस्था संविधान और चुनाव प्रणाली पर चलती हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सरकार नहीं चाहती कि हमारा जनतंत्र मजबूत हो, सरकार नहीं चाहती कि जनतांत्रिक प्रणाली जो है सही ढंग से काम करे। आप तो येन-केन-प्रकारेण सत्ता में बने रहना चाहते हैं चाहे देश की जो स्थिति हो जाए चुनावों की चाहे जो स्थिति हो। अपने अधिकारियों के माध्यम से, अपनी पुलिस के माध्यम से और गलत एवं भ्रष्ट तरीके से आपको किसी तरह से कामयाबी चाहिए चुनाव में और चुनाव में कामयाबी करके आप यहां आकर के भूल जाएंगे। आप अपनी पार्टी की बैठक करके कोई घोषणा कर देंगे, लुभावनी घोषणा कर देंगे जनता को आकर्षित करने के लिए कि हम यह करने जा रहे है। आप कहते क्यों हैं? यह तो विपक्ष कह सकता है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम यह काम करेंगे आपको कहने की आवश्यकता नहीं। माननीय प्रधान मंत्री को आपकी कांग्रेस कार्य समिति में घोषणा करने की आवश्यकता नहीं। आप तो सदन में ही इसकी घोषणा कर देते है, सदन में ही विधयक ला देते है और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आप जैसे प्रेस बिल घंटे भर के अंदर ले आए और जहां तक मेरी जानकारी है कि सरकार में भी लोग एक राय नहीं थे। दो-एक मंत्री लोग थे उन्होंने साजिश करके बिल पेश कर दिया लोक सभा में और पास करा दिया लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस देश की बहादुर जनता को और प्रेस के भाइयों को जिन्होंने हिम्मत के साथ मुकाबला किया आपके इस तानाशाही रवैये का विरोध किया इस काले कानून का मैं प्रेस के लोगों को और इस देश की जनता को और विपक्ष को धन्यवाद देना चाहूंगा वरना आप तो 5 मिनट के अंदर इस माननीय सदन में भी पास करा ले जाते। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय विधि और न्याय मंत्री जी से कि आप सरकार के अंदर है और आप घोषणा करें कि आज सदन मे माननीय मालवीय जी ने जो संशोधन विधेयक पेश किया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। आपके बुजुर्ग सदस्य माननीय राम चन्द्र विकल जी की बातें मुझे पसंद आई, उन्होंने स्वागत किया है और उन्होंने आपसे भी आग्रह किया है कि आप इसको स्वीकार कर लेंगे।

मान्यवर इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 मे संशोधन के लिए विधेयक संख्या 1, सन् 1987 जो प्रस्तुत किया गया है, मैं हृदय से इसका स्वागत करता हूं। अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से इसका तहे दिल से समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद अमीन अंसारी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी मैं समझता हूं कि यह जो हमने यानी कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है आल इंडिया कांग्रेस और वर्किंग कमेटी के अज़ीम रहनुम आवामी लीडर श्री राजीव गांधी जी को कि उन्होंने वोट देने की उम्र जो 21 साल थी, घटाकर 18 साल किया, काबिले मुबारक बाद है। उसका एहसास सत्य प्रकाश मालवीय जी ने किया और उनका दिल तड़पा और यह विधेयक लाए। मैं इनका स्वागत करता हूं, इन्हें मुबारक बाद देना चाहता हूं। काश, ऐसे अच्छे वक्तों में यह विरोधी जो लोग बैठे हैं, विरोधी पक्ष के, अगर ऐसे हमारा साथ देते रहें तो जम्हूरियत को ताकत मिलेगी देश में मजबूती आएगी और मुल्क तरक्की और विकास के रास्ते पर चलेगा।

जनाब, ये लोग कहते है कि इनको विश्वास अब तक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं जब हमारी कांग्रेस पार्टी को यह यकीन हो गया, एतमाद अगर हमारे लीडर को हो जाता है कि ऐसे वक्त पर हमको ऐसा फैसला करना है, ऐसा कानून बनाना है तो वसे वक्त पर कानून बनाने का फैसला करते है। लेकिन उसका एक तरीका है। पहले पार्टी में वह पास हो, फिर वर्किंग कमेटी मे वह पास हो, उसके बाद हाउस में उसके लिए कानून आए। तो उसमें आप अपनी बात क्यों जोड़ते हो? हमारे लीडरों का एक मुकाम है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुझे याद है कि आनन्द भवन में जब सन् 1962 के चुनावों की बात

[श्री मोहम्मद अमीन अंसारी]

हो रही थी तो हम लोगों ने यह प्रस्ताव रखा था कि हमारे नौजवान पढ़ लिखकर अब सामने आ रहे हैं, उनकी उम्र घटाकर उनको 18 साल की उमर में वोट देने का अधिकार दिया जाए। मुझे खुशी है कि जिस दिन राजीव जी ने यह फैसला कांग्रेस कमेटी में लिया, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी की आत्मा को जरूर चैन मिला होगा। आज ऐसे वक्त पर यह फैसला हुआ है जब हमारे नौजवान पढ़ लिखकर हिन्दुस्तान के अंदरूनी मामलों में सोचने लगे हैं और विदेशी षडयंत्रों को समझने लगे हैं विदेशी ताकतें हमारे देश को जो तोड़ना चाहती है उनकी बड़ी बड़ी साजिशों को वे आज समझने में कामयाब हो रहे हैं। इसलिए आज वह पढ़ लिखकर अपना फैसला इस मुल्क की जम्हूरियत को बचाने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए तैयार हैं। हमारे नौजवान इस कानून का पूरा फायदा उठाएंगे और अपना हक देश के लिए अदा करेंगे।

अभी भाई साहब ने कहा था कि हमने म्युनिसिपल बोर्डों में बहुत कम सीट पाई है। हम यह कहना चाहते हैं कि जो भी हमने खड़ा किया था वह जीतकर आए हैं। हमारी कांग्रेस के जो सपोर्टर रहे है उसके बल पर आज 80 परसेंट नोटिफाइड एरिया में और म्युनिसिपल बोर्डों में कांग्रेस के लोग जीतकर आए हैं। कांग्रेस का बोलबाला राजीव गांधी जी की लीडरशिप में हो रहा है। आप घबराइए नहीं। हम जम्हूरियत को बरकरार रखना चाहते हैं। कांग्रेस के तिरंगे झण्डे के नीचे हिन्दुस्तान की आजादी सुरक्षित है। हमारे यहां कांग्रेस में जो आता है वह देश का वफादार होता है, गद्दार नहीं होता। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने कानून मंत्री जी को और उनके जरिए अपने प्रधान मंत्री जी को कि आज हम ऐसा कानून पास करने जा रहे हैं जिससे हमारे देश के नौजवानों को वोट देने का अधिकार मिलेगा, आज हमारे नवजवानों में उमंग है आशाएं हैं और वे जरूर खुशी मनाएंगे कि 18 साल की उम्र होने पर उनको वोट का हक मिलेगा। मैं ज्यादा समय न लेकर एक बार फिर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी को और सारे मैंबरों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने वोट देने की हद 18 साल की उम्र करने का फैसला किया है। इसके लिए मैं अपने हरदिल अजीज प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी और अपने कानून मंत्री जी को बधाई देता हूं। शुक्रिया

†[شری محمد امین انصاری

(اتر پردیش) : آپ سبھا ادھیکش مہودے - میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے یعنی کانگریس پارٹی نے فیصلہ کیا ہے - آل انڈیا کانگریس اور ورکنگ کمیٹی کے عظیم رہنما - عوامی لیڈر شری راجیو گاندھی کو کہ انہوں نے رائے دھندی کی عمر ۲۱ سال تک گھٹا کر ۱۸ سال کیا قابل مبارکباد ہے - اسکا احساس ستیہ پرکاش مالویئے جی نے کیا اور اکا دل تڑپا اور یہ ودھیک لائے - میں ان کا سواگت کرتا ہوں - انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں - کاش - ایسے اچھے وقتوں میں یہ لوگ جو مخالف بینچ پر بیٹھے ہیں - (ورودھی پکش) کے اگر ایسے ہمارا ساتھ دیتے رہیں تو جمہوریت کو طاقت ملےگی - دیش میں مضبوطی آئیگی - اور ملک ترقی اور وکاس کے راستے پر چلے گا -

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

ودیشی شڈینتروں کو سمجھنے لگے ہیں - ودیشی طاقتیں ہمارے دیش کو جو توڑنا چاہتی ہیں انکی بڑی بڑی سازشوں کو وہ آج سمجھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اسلئے آج وہ پڑھ لکھ کر اپنا فیصلہ اس ملک کی جمہوریت کو بچانے کیلئے اسکو برقرار رکھنے کیلئے تیار ہیں ہمارے نوجوان اس قانون کا پورا فائدہ اٹھائینگے اور اپنا حق دیش کیلئے ادا کرینگے -

ابھی بھائی صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے میونسپل بورڈوں میں بہت کم سیٹ پائی ہیں - ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن کو بوی ہم نے کھڑا کیا تھا وہ جیت کر آئے ہیں - ہمارے کانگریس پارٹی کے جو سپورٹر رہے ہیں - اسکے بل پر آج ۸۰ پرسینٹ نوٹیفائڈ ایریا میں اور میونسپل بورڈوں میں کانگریس کے لوگ جیت کر آئے ہیں - کانگریس کا بول بالا راجیو گاندھی جی کی لیڈر شپ میں ہو رہا ہے - آپ گھبرائیے نہیں ہم جمہوریت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں - کانگریس کے ترنگے جھنڈے کے نیچے ہندوستان کی آزادی سرگذشت ہے - ہمارے یہاں کانگریس میں جو آتا ہے وہ دیش کا وفادار ہوتا ہے - غدار نہیں ہوتا - میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنے قانون منتری جی کو اور انکے ذریعے اپنے پردھان منتری جی

جناب والا یہ مخالف پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ انکو وشواس اب تک نہیں ہے - میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری کانگریس پارٹی کو یہ یقین ہو گیا - اعتماد اگر ہمارے لیڈر کو ہو جاتا ہے کہ ایسے وقت پر ہمکو ایسا فیصلہ کرنا ہے - ایسا قانون بنانا ہے تو ویسے وقت پر قانون بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں - لیکن اسکا ایک طریقہ ہے پہلے پارٹی میں وہ پاس ہو - پھر ورکنگ کمیٹی میں پاس ہو - اسکے بعد ہاؤس میں اسکے لئے قانون آئے - تو اسمیں آپ اپنی بات کیوں جوڑتے ہیں - ہمارے لیڈروں کا اینڈ مقابل ہے - سورگئے پنڈت جواہر لال نہرو کا مجھے یاد ہے - کہ آنند بھون میں جب سنہ ۱۹۶۲ع کے چناؤ کی بات ہو رہی تھی تو ہم لوگوں نے یہ پرستاؤ رکھا تھا کہ ہمارے نوجوان پڑھ لکھ کر اب سامنے آ رہے ہیں - ان کی عمر گھٹا کر انکو اٹھارہ سال کی عمر میں ووٹ دینے کا ادھیکار دیا جائے - مجھے خوشی ہے کہ جس دن راجیو گاندھی جی نے یہ فیصلہ کانگریس کمیٹی میں لیا - اس دن پنڈت جواہر لال نہرو اور اندرا جی کی آتما کو ضرور چین ملا ہوگا - آج ایسے وقت میں یہ فیصلہ ہوا ہے جب ہمارے نوجوان پڑھ لکھ کر ہندوستان کے اندرونی معاملوں میں سوچنے لگے ہیں - اور

[شری محمد امین انصاری]

کو کہ آج ہم ایسا قانون پاس کرنے جا رہے ہیں جس سے ہمارے دیش کے نوجوانوں کو ۱۸ سال عمر ووٹ دینے کا ادھیکار ملے گا - اج ہمارے نوجوانوں میں امنگ ہے - آشائیں ہیں اور وہ ضرور خوشی منائیں گے - کہ ۱۸ سال کی عمر ہونے پر انکو ووٹ کا حق ملیگا - میں زیادہ سے زیادہ لیکر ایک بار پھر آل انڈیا کانگریس کمیٹی کو اور ورکنگ کمیٹی اور سارے ممبروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ووٹ دینے کی حد ۱۸ سال کی عمر کرنے کا فیصلہ کیا ہے - اسکے لئے میں اپنے ہر دل عزیز پردھان منتری شری راجیو گاندھی اور قانون منتری جی کو بدھائی دیتا ہوں - شکریہ]

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I support the Amendment Bill moved by Malaviyaji. It is none too late. It could have been brought earlier. But that it has been brought now proves that we are living up to our promises, that we are living up to the needs of reality. There is no doubht adulthood begins not at 21 but much earlier. As our ancient Indian saying goes, it is 16 years of age. Actually the fathers were advised by the law-givers to treat their sons on the attainment of the age of 16 as friends. So there is no harm if we give our youth of 18 years the right to vote, the right to decide the future destiny of their country. It is on them that we must rely. We must give them the right to think over their present, to think over their future and to take the reins of the country, of the Government, in their hands. So this amendment to the Constitution is very necessary. In our experience in West Bengal and other parts of the country where at the local government level electoral rolls are prepared on the basis of 18 years, the result is good. It is not a partisan question. It is not a question which party gains or which party loses. In a democracy ultimately the people decide their future, the people take the reins of Government in their hands. No single party, no single leader, can claim that they are the agents, sole agents, of the people of the country. It is a question of conferring the right on the people. The Constitution was given to the people by the people and therefore it is our very sacred duty to give that right to them to whom it belongs. It is not a question whether the Congress Party takes a belated decision or not. None prevents them from taking a decision earlier. They have witnessed in West Bengal and other parts of the country after extending the democratic rights to the people of a lower age than 21, to the youth of 18 and 20, the local governments are running well and the result is not bad, the result is good, the result is promising too. So I support the Bill and I hope that the Government, the Treasury Benches, also will support it rising above any partisan considerations. Once again I plead that this Bill should be passed unanimously. Thank you.

श्री सुरेन्द्र सिंह अहलूवालिया (बिहार) : उपसभा अध्यक्ष महोदय 31 अक्तूबर 1984 का दिन हिन्दुस्तान के इतिहास में एक अजीब सा दिन था जिस दिन एक तरफ तो काले अक्षर मे इतिहास लिखा जा रहा था और दूसरी तरफ स्वर्णाक्षर में एक नया इतिहास बन रहा था। काले अक्षरों से इतिहास लिखा जा रहा था क्योंकि इन्दिरा गांधी की उन्हीं के सुरक्षा गार्डों के हाथों द्वारा हत्या हुई और दूसरी तरफ स्वर्णाक्षरों में इतिहास लिखा जा रहा था उसका कारण यह था कि हिन्दुस्तान को एक नौजवान प्रधान मंत्री मिल रहा था। एक शुरुआत हुई थी स्वर्ण युग की। उसने अपने दिमाग में नौजवानों के बारे में सोचा। नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचा और इस मुल्क के बारे में सोचा। इसके पहले बहुत प्रधान मंत्री हुए। उन्होने कल की बात, आज कीबात और आने वाले कल की बात पर सोचा लेकिन आज हमारे हिन्दुस्तान में एक ऐसा प्रधान मंत्री है जो कल की बात के साथ-साथ आज की बात भी करता है आने वाले कल की बात करता है और कल के आगे बढ़ कर परसों की बात भी कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं भारत की फ्यूचरलोजी के बारे में भी उसने कई प्रोग्राम, कई नयी पोलिसियां बनाई हैं। इन तमाम पालिसियों में एक यह पालिसी भी उनके जहन में थी कि हमें अपने देश के नौजवानों को वोटिंग राइट देना है। यह वोटिंग राइट देने के लिए उनके दिमाग में मेरे ख्याल से एक शेर याद आया होगा कि जब एक नवजवान चीख-चीख कर कह रहा था कि "जब गुलिस्तां को लोहू से सींचने की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी और जब गुलिस्तां गुल-गुल बाग हुआ तो लोग कहते हैं कि गुलिस्तां तुम्हारा नहीं। वह नवजवान है जिसने मुल्क की आजादी के लिए अपनी कुरबानी दी। "कोई मर फिरोसी की तमन्ना गाता हुआ," "कोई मेरा रंग दे बसंती चोला "गाता हुआ और कहां खुदी राम बोस यह कह रहा था कि "एक बार विदाई दो मां धुरे आसी, हस्ते-हस्ते चापबो फांसी, देखबे सारा भारतवासी। बंगाली में गाते-गाते, हंसते हुए मुल्क की आजादी के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिये। आज हमें एक ऐसा प्रधान मंत्री मिला है जो नवजवानों को वोटिंग राइट देने की आवाज उठा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यह सिर्फ आज की बात नहीं है, हमारी यूथ कांग्रेस ने सन् 1984 में इस संबंध में एक मेमोरेन्डम दिया था। एन०एस०यू०आई० ने 1984 में एक कांफ्रेंस की थी और यह डिमान्ड की थी कि यह अधिकार 18 वर्ष के नौजवान को मिलना चाहिए। इस विचार पर विचार होता रहा। कोई भी विचार-धारा नई पैदा होती है तो उसमें इतने ब्यूरोक्रेटिक बोटलनेक्स होते हैं कि उसमें अटकाने वाली चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन अब यह विचारधारा एक स्वरूप लेने जा रही है। कांग्रेस कमेटी ने और वर्किंग कमेटी में और खुले अधिवेशन में इस बात की घोषणा की है कि हम यह अधिकार नवजवानों को देने जा रहे हैं। इसके पीछे श्री राजीव गांधी जी को एक लोजिक समझ में आया कि जब हम एक 18 वर्ष की लड़की को शादी करने का अधिकार देते हैं और उसको इस बात का भी अधिकार देते हैं कि वह फैमिली को लीड कर सकती हैं तो उसको वोटिंग राइट क्यों नहीं दे सकते हैं? श्री राजीव गांधी को यह बात समझ में आई है और यह अधिकार देने जा रहे हैं। अब तक स्वामी ही वोट देने जाता था, उसकी स्त्री नहीं जाती थी, लेकिन अब हजबेन्ड और वाइफ दोनों वोट देने जा सकेंगे . . . (व्यवधान) खैर, आज यह पहला मौका है जब हिन्दुस्तान मे एक नया इतिहास लिखा जाएगा जिसमें 21 साल का स्वामी और 18 वर्ष की स्त्री, दोनों वोट देने जा सकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, राजीव गांधी मुल्क की सरहदों पर गये तो उन्होंने देखा कि जब एक 18 साल का जवान स्टेन गन, मशीन गन और आटोमैटिक गन लेकर सरहदों की रक्षा कर सकता है तो उसको राजनैतिक सुरक्षा का अधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता है। जो व्यक्ति तोपें चला सकता है गोले पकड़ सकता है, मुल्क की सुरक्षा कर

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

सकता है, तो उसको राजनैतिक सुरक्षा का अधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता है? अब उनको भी वोटिंग का अधिकार दिया जा रहा है। अभी हमारे बुजुर्ग बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी अपने दो मैनिफेस्टोज में यह बात नहीं कही। मैंने पहले ही कह दिया है कि यह कांग्रेस का ही सवाल नहीं है, दूसरी पार्टियों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि इतनी कम उम्र का प्रधान मंत्री पहले नहीं हुआ है। उन्होंने हमारे देश के नवयुवकों के दिमाग को समझने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पिछले मैनीफैस्टोज में यह बात नहीं कही गई है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे भी तो पहले कांग्रेस में ही थे। कांग्रेस से निकल कर ये दूसरे दल बने हैं और उनका सोच निकला है। आज वोटिंग राइट की उम्र घटाने की बात कही जा रही है, लेकिन हमने यह बात पहले ही कह दी है पर यह हर एक भारतीय का जन्म सिद्ध अधिकार है जो अधिकार हमारा प्रिय राजीव गांधी देने जा रहा है। हमारी पार्टी के प्रेजीडेंट ने अपनी पार्टी के प्लेटफार्म पर इस बात का फैसला किया और उसके साथ साथ गवर्नमेंट से फैसला होने जा रहा है और उस वक्त विपक्ष के नेताओं ने चारों तरफ भोंपू लगा कर चिल्लाना शुरु कर दिया है कि यह फैसला मेरा है, यह फैसला मेरा है, यह फैसला मेरा है। यह फैसला किसी का नहीं यह फैसला उन पांच करोड़ नौजवानों का है उन पांच करोड़ नौजवानों का है जिन्होंने अपना वोटिंग राइट अपने नवयुवक प्रधान मंत्री से पा लिया है और उसका मन जीत लिया है। आज वह फैसला उनको मिलने वाला है। मैं आपको फिर याद दिला दूं अगर हम यह फैसला करते है तो हम सिर्फ आने वाली नस्लों के लिए ही नहीं परन्तु बीते हुए कल जिनकी कुर्बानियों के कारण हम आजाद भारतीय आजाद हिन्दुस्तानी के नाम पर घूमते फिरते हैं उनके दिये हुए कर्ज को उतारेंगे क्योंकि यह सपना उनका भी था और यह सपना हम उनका पूरा करेंगे। मैं समझता हूं कि इस बिल का पूरा समर्थन करना चाहिये और यह बिल पास होना चाहिये। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Subramanian Swamy.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: I was told by the Chair that I have to speak after....

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): You are a part of the ruling party. You come with the ruling party. Now, the Opposition.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: I am very much in the Opposition.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: You come with the ruling party.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): I have called you. Why do you worry?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Okay. (*Interruptions*) ...

Sir, I would like to congratulate my colleague, Shri Satya Prakash Malaviya, for bringing this constitutional amendment. Article 326 of the Constitution lays down that the voting age will be 21. Mr. Malaviya would like the House to make it from 21 to 18.

Sir, this demand now has gained a fair amount of popularity, and even the Prime Minister and the Congress Working Committee have woken up to it. Although they have been in power now for almost 4 years, they never thought about it. And suddenly they woke up to it and hastily passed a Resolution that this should be done. Of course, it has still not been done. The reason for the posthaste in adopting this Resolution was that the Janata Dal's proposed programme—or the proposed Janata Dal's adopted programme—says that the voting age will be reduced to 18. And since all major movements in our country...(*Interruptions*) The proposed Janata Dal's adopted programme, and also of the National Front, of which you will soon become a collaborator. . .

SHRI HANS RAJ BHARDWAJ: Mr. Swamy, you believe so much in adoption. You have adopted a leader, you

have adopted a programme, and you have adopted... How many things will you adopt?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Whenever you become leader and cross the floor, we will adopt you also. (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: You are very liberal.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Yes, very liberal.

Sir, they realise that the major change in this country has always been brought about by the Youth. Mr. Jayaprakash's movement of 1974 which brought about a change in attitudes was due to the youth. The opposition to the emergency did not really come from leaders so much as from the youth of the country. And even in the freedom struggle, if you look at the Quit India Movement you will find, the youth were in the forefront, and particularly those in the late teens. They did not want the Janata Dal to get credit for it. So, they hastily went to the press and made all kinds of announcements. But they have not come forward. No Member of the Congress Party came forward with even a Private Members' amendment. It had to be a Member of the Janata Party, Mr. Satya Prakash Malaviya, to bring such an amendment before the House. So, Sir, I hope the House will unanimously support with more than two-thirds majority the amendment proposed by Mr. Satya Prakesh Malaviya.

Sir, the most important thing to note is that on the question of voting age, India is perhaps out of step with the international practice. The figures that I obtained from Mr. Malaviya show that the International Parliamentary Union (IPU) tabulated voting ages for 55 countries and found that out of 55 countries only 14 countries had a voting age of 21. Of those 14 countries, most countries are like Cameroon and Botswana and a strife-torn place like Cyprus. Of course, there is one important country which is amongst those 14 countries and that is Italy. I suppose that Mr. Bhardwaj will wait till Italy brings down the voting age from 21 to 18.

SHRI HANS RAJ BHARDWAJ: Italy has already adopted him.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: We won't have to wait long because in the next Lok Sabha election there will be National Front Government and the first thing we will do is to bring this Government.

The Central Government is also out of step with the State Governments within India. For example, in Karnataka there is the Janata Government and in Andhra Pradesh there is Telugu Desam Government. It was done even in U.P. when Mr. Malaviya was the Minister. (*Interruptions*) Do we have voting in West Bengal?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): He says: "Voting".

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: So, in West Bengal and in U.P. when the Janata Party came into power there, in Karnataka after the Janata Party formed the Government there and the Telugu Desam Government in Andhra Pradesh have the voting of 18 years for the Mandal elections and the Panchayat elections. It is not as if it is something unheard of in India to have a voting age of 18 years. In Gujarat also when the Janata Morcha was there and Mr. Babubhai Patel became the Chief Minister. (*Interruptions*) I will stand corrected if you bring some proof to show that. In fact, Gujarat has always been a very sensible place. In spite of the Congress, they are quite sensible there. Therefore, the Central Government is out of step with the practice at the State or local level. There is nothing unusual or as if something terrible would happen if we had the voting age of 18 years.

The other important point is that if you look at the total population and the age group between 18 and 21 years, it means that every parliamentary constituency would have one lakh more voters. If you look at this group as a percentage, the highest percentage of educated people are in this age group. It means that by including this age group in the voting

[Shri Subramanian Swamy]

population, you will raise the average educated level of the voters in the country and, therefore, they will be more enlightened and more sophisticated voters. There cannot be an argument that these people are not mature. If you compare the rest of the population of the country of the age of 21 and over and if you look at the age group between 18 and 21 years, you will find that it is a highly educated group. Eighteen years is the minimum age for many other activities in the country where there is a very big risk involved. For example, you take driving. For a driving licence, the minimum age is 18 years. Now, what greater risk can there be? For getting into the Army, it is only 16 years and by the time one is 18 years, he is in the field.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): But not a pilot

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: You can start even as a pilot at 18. He is very much concerned about being a pilot.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Why?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: It is because he thinks that it is an easy passport to Prime Ministership. I am piloting the discussion. (*Interruption*). I am about to nose-dive. I have only two more points to make.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): You can continue next time. Now, Mr. Panja to lay Papers on the Table.

5.00 P.M.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue)

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): Sir, I beg to lay on the Table, under section 159 of the Customs Act, 1962, a copy each (in English and Hindi) of the following Notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue) together with Explanatory Memorandum on the Notifications:—

(i) Notification No. 307/88-Customs, dated the 25th November, 1988, superseding Notification No. 57/87-Customs, dated the 1st March, 1987; and

(ii) Notification No. 308/88-Customs, dated the 25th November, 1988, having the effect of withdrawing existing concessional rate of basic customs duty on certain categories of iron and non-alloy steel sheets, plates, hoops stripes.

[Placed in Library. *See* No. LT—6785/88 for (i) and (ii)]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Now the House stands adjourned till 11 A.M. on Monday, the 28th November, 1988.

The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 28th November, 1988.

MGIPMRND--L—1434 RS—7-3-89—400